भारत सरकार

बजट 2025-2026 की घोषणाओं का कार्यान्वयन

[बजट भाषण — 1 फरवरी, 2025]

1 फरवरी, 2026

वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

बजट घोषणाओं 2025-26 के कार्यान्वयन की स्थिति

विषय-सूची

क्र.सं.	पैरा. सं.	विषय (2025-26 के बजट भाषण में)	पृष्ठ सं.
1.	10	प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना	1
2.	11	ग्रामीण समृद्धि और समुत्थानशील बनाना	3
3.	12	ग्रामीण समृद्धि और समुत्थानशील बनाना	4
4.	13	कृषि-जिलों का विकास	6
5.	16	दलहनों में आत्मनिर्भरता संबंधी मिशन	7
6.	17	सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम	9
7.	18	बिहार में मखाना बोर्ड	12
8.	19	उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन	14
9.	20	मत्स्य पालन	15
10.	21	कपास उत्पादकता के लिए मिशन	15
11.	22	केसीसी के माध्यम से बढ़ा हुआ ऋण	16
12.	23	असम में यूरिया संयंत्र	18
13.	24	ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक के रूप में भारतीय डाक	19
14.	25	भारतीय डाक का विस्तार	24
15.	26	एनसीडीसी को सहायता	25
16.	28	एमएसएमई के लिए वर्गीकरण मानदंडों में संशोधन	26
17.	29	ऋण उपलब्धता में वृद्धि	26
18.	30	सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड	27
19.	31	स्टार्टअप के लिए निधियों का कोष	27
20.	32	नए उद्यमियों के लिए योजना	28
21.	33	श्रम-विशेष क्षेत्रों के लिए उपाय	29

क्र.सं.	पैरा. सं.	विषय (2025-26 के बजट भाषण में)	पृष्ठ सं.
22.	34	फुटवियर और चमड़ा क्षेत्रों के लिए योजना	30
23.	35	खिलौना क्षेत्र के लिए उपाय	30
24.	36	खाद्य प्रसंस्करण के लिए सहायता	31
25.	37	विनिर्माण मिशन - "मेक इन इंडिया" को आगे बढ़ाना	32
26.	38	स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण	33
27.	40	सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0	36
28.	41	अटल टिंकरिंग लैब्स	37
29.	42	स्कूलों और पीएचसी को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी	37
30.	43	भारतीय भाषा पुस्तक योजना	38
31.	44	राष्ट्रीय कौशल विकास उत्कृष्टता केंद्र	39
32.	45	आईआईटी में क्षमता का विस्तार	39
33.	46	शिक्षा के लिए एआई में उत्कृष्टता केंद्र	40
34.	47	चिकित्सा शिक्षा का विस्तार	40
35.	48	सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र	41
36.	49	शहरी आजीविका को सुदृढ़ बनाना	41
37.	50	पीएम स्वनिधि	42
38.	51	गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना	42
39.	52	अवसंरचना में सार्वजनिक निजी भागीदारी	43
40.	53	अवसंरचना के लिए राज्यों को सहायता	48
41.	54	आस्ति मुद्रीकरण योजना 2025-30	48
42.	55	जल जीवन मिशन का विस्तार	49
43.	56	जन भागीदारी के माध्यम से जल जीवन मिशन	49
44.	57	शहरी क्षेत्र में सुधार	50
45.	58	अर्बन चैलेंज फंड की स्थापना	50

क्र.सं.	पैरा. सं.	विषय (2025-26 के बजट भाषण में)	पृष्ठ सं.
46.	59	अर्बन चैलेंज फंड	50
47.	60	विद्युत क्षेत्र सुधार	51
48.	61	विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन	51
49.	62	परमाणु ऊर्जा मिशन की स्थापना	53
50.	63	जहाज निर्माण वित्तीय सहायता नीति	54
51.	64	एचएमएल अवसंरचना में बड़े जहाजों को शामिल करना	55
52.	65	जहाज निर्माण क्लस्टर के लिए इकोसिस्टम का विकास	55
53.	66	समुद्री विकास कोष	56
54.	67	उड़ान - क्षेत्रीय संपर्क योजना	56
55.	68	बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट	57
56.	69	मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना	57
57.	70	खनन क्षेत्र सुधार	58
58.	71	महत्वपूर्ण खनिजों की रिकवरी	58
59.	72	एसडब्ल्यूएएमआईएच निधि 2 का विस्तार	58
60.	73	एसडब्ल्यूएएमआईएच निधि 2- ₹15,000 करोड़ की निधि	59
61.	74	निजी क्षेत्र के लिए पीएम गति शक्ति डेटा	59
62.	75	रोजगार प्रेरित विकास के लिए पर्यटन	59
63.	76	रोजगार प्रेरित विकास	61
64.	77	भगवान बुद्ध से संबंधित स्थलों पर समुचित ध्यान	65
65.	78	भारत में चिकित्सा पर्यटन और उपचार	66
66.	79	अनुसंधान, विकास और नवाचार	67
67.	80	निधियों का डीप टेक फंड	68
68.	81	पीएम रिसर्च फैलोशिप	68
69.	82	फसलों के जर्मप्लाज्म के लिए जीन बैंक	69
70.	83	राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन	69

क्र.सं.	पैरा. सं.	विषय (2025-26 के बजट भाषण में)	पृष्ठ सं.
71.	84	ज्ञान भारतम मिशन	70
72.	86	निर्यात संवर्धन मिशन	71
73.	87	भारतट्रेडनेट	72
74.	88	वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं (जीएससी) के साथ एकीकरण	72
75.	89	जीएससी के साथ सुविधा समूह	72
76.	90	घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उद्योग को सहायता	73
77.	91	जीसीसी के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क	73
78.	92	एयर कार्गो के लिए वेयरहाउसिंग सुविधा	73
79.	94	कर सुधार	76
80.	95	बीमा क्षेत्र में एफडीआई	77
81.	96	भारतीय डाक भुगतान बैंक की सेवाओं का विस्तार	77
82.	97	एनएबी एफआईडी द्वारा ऋण संवर्धन सुविधा	78
83.	98	ग्रामीण क्रेडिट स्कोर	78
84.	99	पेंशन क्षेत्र	79
85.	100	केवाईसी सरलीकरण	79
86.	101	कंपनियों का विलय	81
87.	102	द्विपक्षीय निवेश संधियाँ	82
88.	104	विनियामक सुधारों के लिए उच्च स्तरीय समिति	82
89.	105	राज्यों का निवेश अनुकूलता सूचकांक	82
90.	106	एफएसडीसी तंत्र	83
91.	107	जन विश्वास विधेयक 2.0	83
92.	109	राजकोषीय समेकन	84
93.	144	व्यापार करने में सुगमता	84
94.	145	सुरक्षित बंदरगाह नियमावली	84

बजट घोषणाओं 2025-26 के कार्यान्वयन की स्थिति

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
1.	10	**प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना - कृषि जिला कार्यक्रम का विकास** आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता से प्रेरित होकर, हमारी सरकार, राज्यों के साथ साझेदारी में 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' शुरू करेगी। मौजूदा योजनाओं और विशेष उपायों के समावेश के माध्यम से, यह कार्यक्रम कम उत्पादकता, मध्यम फसल गहनता और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिलों को कवर करेगा। इसका उद्देश्य (1) कृषि उत्पादकता बढ़ाना, (2) फसल विविधीकरण और सतत कृषि पद्धतियों को अपनाना, (3) पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल कटाई के बाद भंडारण सुविधा को बढ़ाना, (4) सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना और (5) दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाना है। इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है।	**कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएफडब्ल्यू)** **नीति आयोग** मंत्रिमंडल ने दिनांक 16.07.2025 को 100 जिलों को कवर करने के लिए वित्त वर्ष 2025-26 से आरंभ करते हुए छह वर्ष की अवधि के लिए प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (पीएम डीडीकेवाई) को मंजूरी दी। सितंबर, 2025 में संबंधित विभागों और राज्यों को परिचालन दिशानिर्देश और 100 जिलों की सूची के बारे में सूचित किया गया था। माननीय प्रधानमंत्री ने दिनांक 11.10.2025 को इस योजना का शुभारंभ किया। प्रत्येक डीडीकेवाई जिले के संबध में केंद्रीय और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को तकनीकी भागीदारों के रूप में आबंटित किया गया है। वर्ष 2025-26 के रबी मौसम से पीएम डीडीकेवाई के कार्यान्वयन हेतु अपनी जिला कार्य योजना तैयार करने हेतु जिलों के साथ जिला कार्य योजना तैयार करने के लिए एक खाका साझा किया गया है। धन धान्य जिलों द्वारा जिला कार्य योजनाएं प्रस्तुत की गई हैं और नीति आयोग और अन्य संबंधित मंत्रालयों/ विभागों के परामर्श से इसकी समीक्षा की जा रही है। **सहकारिता मंत्रालय (एमओसी)** योजना की पायलट परियोजना के तहत देश भर में 9,750 मीट्रिक टन की कुल भंडारण क्षमता वाले

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			ग्यारह (11) प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटियों (पीएसीएस) में 11 गोदामों का निर्माण किया गया है। देश भर से इस योजना के लिए 334 विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) प्रस्तुत की गई हैं। 165 पीएसीएस का वित्तीय समापन पूरा हो चुका है, जिनमें से 45 पीएसीएस में निर्माण कार्य चल रहा है। देश भर में पीएसीएस स्तर पर 70,000 मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता का निर्माण किया जाएगा। अप्रैल 2023 से पूरे भारत में पीएसीएस द्वारा किए गए कुल 28.04 करोड़ लेनदेन ई-पीएसीएस सॉफ्टवेयर में दर्ज किए गए हैं। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से सहकारिता मंत्रालय (एमओसी) द्वारा एक व्यापक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (एनसीडी) विकसित किया गया है। **जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ डब्ल्यू आर, आर डी, जी आर)** कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (एमसीएडी) योजना चरण-2 के आधुनिकीकरण में, अभिसरण निधि का सृजन किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना (पीएमडीडीकेवाई) और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, पंचायती राज, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं की भांति अन्य मंत्रालयों की समान योजनाएं शामिल होंगी। **वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस)** पीएमडीडीकेवाई के अंतर्गत कम फसल उत्पादकता वाले 100 जिलों में सभी कार्यकलापों के लिए सभी क्षेत्रों में आरआईडीएफ ऋण के लिए पात्र परियोजना की शत प्रतिशत लागत पर विचार करने

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			के लिए ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया है। इसके अलावा, आरआईडीएफ के तहत राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को ऋण की कमी वाले जिलों में वित्तपोषण को प्राथमिकता देने के लिए अधिदेशित किया गया है। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) दिशा-निर्देश तुलनात्मक रूप से कम ऋण प्रवाह वाले जिलों के लिए एक प्रोत्साहन का कार्य करते हैं, जिसमें उन चिन्हित जिलों में वृद्धिशील प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण को वेटेज (125%) दिया जाता है जहां ऋण प्रवाह अपेक्षाकृत कम है। योजना के लिए प्रचालन दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दे दिया गया है और योजना के संबंध में पहचान किए गए 100 कम उत्पादकता वाले जिलों के लिए केंद्रीय नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
2.	11	**ग्रामीण समृद्धि और समुत्थानशीलता का निर्माण** राज्यों के साथ साझेदारी में एक व्यापक बहु-क्षेत्रीय 'ग्रामीण समृद्धि और समुत्थानशील' कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। यह कौशल निर्माण, निवेश, प्रौद्योगिकी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करके कृषि में रोजगार की कमी को दूर करेगा। इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त अवसर सृजित करना है ताकि प्रवासन अनिवार्यता न होकर मात्र एक विकल्प ही हो।	**ग्रामीण विकास विभाग (डीओआरडी)** **कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएफडब्ल्यू)** 1. ग्रामीण विकास मंत्रालय ने संस्थागत क्षमताओं का संवर्धन, उद्यमिता संस्कृति का निर्माण, ग्रामीण उद्यमों के अनुरूप तैयार किए गए वित्तीय उत्पादों, सक्षम डिजिटल अवसंरचना के निर्माण और उद्यमों को बढ़ावा देने सहित महत्वपूर्ण घटकों को रेखांकित करते हुए अवधारणा नोट का मसौदा तैयार किया है। मंत्रालयों के साथ विचार-विमर्श, अंतर-मंत्रालयी परामर्श, विकास क्षेत्र के संगठनों, लखपति दीदियों और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा, वित्तीय संस्थानों और

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
3.	12	यह कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं, युवा किसानों, ग्रामीण युवाओं, सीमांत और छोटे किसानों और भूमिहीन परिवारों पर केंद्रित होगा।	अन्य हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के आधार पर ग्रामीण समृद्धि और समुत्थानशील कार्यक्रम (आरपीआरपी) संबंधी घटकों का मसौदा तैयार किया गया है। 2. चरण 1 (प्रारंभिक और योजना (2025-2027) के लिए अवधारणा नोट को स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) द्वारा अनुमोदित किया गया है। **कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमओएसडीई)** 1. मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और उनके सदस्यों के कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 24.06.2025 को ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य उन्हें नए आर्थिक अवसरों का लाभ उठाने और अपने समुदायों और अपने स्थानीय क्षेत्रों में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए अपेक्षित कौशल से सुसज्जित करना है। 2. 2024-25 से 2028-29 तक के पांच वर्षों के लिए, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय को जनजातीय कार्य मंत्रालय की एक योजना, अर्थात् धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) की विशिष्ट पहलों/ गतिविधियों का कार्य सौंपा गया है। इन गतिविधियों में जनजातीय जिलों में कौशल केंद्रों की स्थापना और 1,000 वीडीवीके और जनजातीय समूहों की क्षमता निर्माण और व्यवसाय विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है। प्रत्येक प्रतिष्ठान को 20 लाख रुपये के एकमुश्त अनावर्ती अनुदान के साथ तीस

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			(30) जनजातीय कौशल केन्द्र (टीएससी) स्थापित किए गए हैं। सभी को उनकी वार्षिक कार्य योजना के अनुमोदन के बाद सहायता अनुदान (जीआईए) की पहली किस्त जारी कर दी गई है। अब तक इन केंद्रों द्वारा 6,333 उम्मीदवारों का नामांकन किया जा चुका है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के 15 सहित पचास (50) वन धन विकास केन्द्रों (वीडीवीके) की पहचान की गई है। मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है। अब तक, मास्टर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर प्रोग्राम के तहत 100 प्रतिभागियों को शामिल किया गया है, 3,196 सदस्यों को उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम के तहत और 50 वीडीवीके के 840 सदस्यों को उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया है। **वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस)** ग्रामीण युवाओं, किसानों और महिलाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ ग्रामीण समृद्धि लाने के लिए, वित्तीय सेवा विभाग विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रहा है, जैसे माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (मुद्रा) योजना, स्टैंड-अप इंडिया योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई)। इन योजनाओं का उद्देश्य बीमा और पेंशन योजनाओं के माध्यम से ऋण और सामाजिक सुरक्षा कवरेज तक पहुंच के रूप में सहायता प्रदान करना है। इसके अलावा, केसीसी स्कीम के माध्यम से और कृषि ऋण के लिए लक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण अपनाते हुए, छोटे और

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			सीमांत किसानों के लिए संस्थागत ऋण तक पहुंच सुलभ कराई जाती है। नाबार्ड, कौशल और उद्यमिता विकास, वित्तीय समावेशन और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता और क्षमता निर्माण भी प्रदान करता है। इस योजना को वर्ष 2025-27 से प्रारंभिक चरण के साथ पीएमडीडीकेवाई के तहत अभिहित 100 कम उत्पादकता वाले जिलों में दो चरणों में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जाएगा। विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसी एजेंसियां भी इस योजना के डिजाइन और परामर्श चरण में शामिल हैं।
4.	13	वैश्विक और घरेलू सर्वोत्तम पद्धतियों का समावेश किया जाएगा और बहुपक्षीय विकास बैंकों से उचित तकनीकी और वित्तीय सहायता मांगी जाएगी। पहले चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा।	**ग्रामीण विकास विभाग (डीओआरडी)** स्थायी वित्त समिति द्वारा दिनांक 02.09.2025 को "ग्रामीण समृद्धि और समुत्थानशील कार्यक्रम (आरपीआरपी)- चरण-1" नामक एक बहु-क्षेत्रीय कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है। **आर्थिक कार्य विभाग (डीईए)** ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) ग्रामीण समृद्धि और समुत्थानशील कार्यक्रम (आरपीआरपी) तैयार करने की प्रक्रिया में है और परियोजना के बाह्य वित्तपोषण के लिए विश्व बैंक और एडीबी के साथ भी परामर्श कर रहा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एक सौ कृषि-जिलों की पहचान की जाएगी, और उनमें की जाने वाली पहलों का नेतृत्व ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दिनांक 03.06.2025 को विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से तकनीकी सहायता की मांग करते

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			हुए ग्रामीण समृद्धि और समुत्थानशील कार्यक्रम (आरपीआरपी) के लिए सूचना भागीदारी और तकनीकी सहायता (केपीटीए) शीर्षक से एक प्रस्ताव अपलोड किया। दिनांक 29.08.2025 को आयोजित 158वीं स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक (एससीएम) में विश्व बैंक और एडीबी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए परियोजना तैयारी संबंधी अनुरोध (पीपीआर) प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। यह प्रस्ताव 23.09.2025 को विश्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आईएफएडी) का एकमात्र एकल, सकेंद्रित कार्यनीतिक उद्देश्य छोटे किसानों की खाद्य और कृषि उत्पादन प्रणालियों को लाभदायी बनाना तथा उनकी निरंतरता और समुत्थानशीलता सुनिश्चित करना है। वर्तमान में, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मेघालय और जम्मू और कश्मीर में लगभग 325 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चार परियोजनाओं पर काम चल रहा है। 132.11 मिलियन अमरीकी डालर की राशि के वित्तपोषण के लिए आईएफएडी के समक्ष 2 सॉवरेन परियोजनाएं प्रस्तुत की गई हैं, जो प्रक्रियाधीन हैं। आगामी परियोजनाओं में, उपयुक्त तकनीकी और वित्तीय सहायता के साथ-साथ वैश्विक और घरेलू सर्वोत्तम पद्धतियों को डिजाइन चरण में शामिल किया जाएगा।
5.	16.	हमारी सरकार अब अरहर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देने के साथ 6 वर्ष का "दलहनों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन" शुरू करेगी। केंद्रीय एजेंसियां (नेफेड और एनसीसीएफ) इन	**कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएफडब्ल्यू)** **उपभोक्ता मामले विभाग (डीओसीए)** यह योजना माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 11.10.2025 को शुरू की गई थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने योजना की अवधि अर्थात 2025-26 से 2030-31 तक

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		3 दलहनों की उतनी मात्रा में खरीद के लिए तैयार होंगी, जितनी कि अगले 4 वर्षों के दौरान इन एजेंसियों के साथ पंजीकृत और समझौते करने वाले किसानों द्वारा प्रस्तावित होगी।	₹11,440 करोड़ का परिव्यय आवंटित किया है। इस बजट परिव्यय में ₹7,427 करोड़ का केंद्रीय हिस्सा और ₹4,013 करोड़ का राज्य हिस्सा होगा। अरहर, उड़द और मसूर की 100 प्रतिशत खरीद के अलावा, अन्य दालों के लिए भी लाभ प्रदान किया जाएगा। इसमें बीज उत्पादन, प्रमाणित बीज वितरण, प्रतिपादन, क्षेत्र विस्तार, क्षमता निर्माण, फसल कटाई के बाद की अवसंरचना, अनुसंधान एवं विकास और फ्लेक्सी घटक शामिल होंगे। कार्यक्रम को लागू करने वाले राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों और हितधारकों को 18.10.2025 को दलहन मिशन के प्रचालन दिशानिर्देश जारी किए गए थे। रबी मौसम 2025-26 के लिए प्रजनक बीज का आवंटन और इसे उठाने का काम पूरा हो चुका है। वर्ष 2026-27 (खरीफ और रबी मौसम) के लिए दलहन के प्रजनक बीजों की मांग भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) को भेज दी गई है। रबी 2025-26 के लिए दालों की बीज मिनी किट राज्यों को आवंटित की गई है और राज्यों ने उन्हें आगे किसानों को मुफ्त में वितरित किया है। रबी 2025-26 के लिए दालों में आत्मनिर्भरता मिशन के अनुसार राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक कार्य योजनाएं (एएपी) अंतिम चरण में हैं। **कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डीएआरई)** अरहर की छह (06) किस्म, उड़द की एक (01) और मसूर की पांच (05) किस्मों को दिनांक 13.05.2025 के का.आ. 2128 (अ) के तहत राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
6.	17	**सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम** यह उत्साहजनक है कि हमारे लोग अपनी पोषण संबंधी जरूरतों के प्रति जागरूक हो रहे हैं। यह एक समाज के स्वस्थ होने का संकेत है। आय के बढ़ते स्तर के साथ, सब्जियों, फलों और श्री-अन्न की खपत में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। किसानों के लिए उत्पादन, कुशल आपूर्ति, प्रसंस्करण और लाभकारी कीमतों को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के साथ साझेदारी में एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। किसान उत्पादक संगठनों और सहकारी समितियों के कार्यान्वयन और भागीदारी के लिए उपयुक्त संस्थागत तंत्र स्थापित किया जाएगा।	**कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएफडब्ल्यू)** हितधारकों के साथ बजट-उपरांत वेबिनार के दौरान प्राप्त सिफारिशों/ सुझावों के आधार पर, वर्ष 2025-26 से 2030-31 की अवधि के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अनन्य केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए एक अवधारणा नोट और व्यय वित्त समिति (ईएफसी) के नोट का मसौदा संबंधित विभागों/ संगठनों को उनकी सहमति/ विचार प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। ईएफसी नोट के साथ संशोधित अवधारणा नोट को टिप्पणियों/ इनपुट के लिए 14.10.2025 को ईएफसी पोर्टल पर अपलोड किया गया था। व्यय विभाग (डीओई) के सुझावों के अनुसार, समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के अंतर्गत एक मिनी मिशन के रूप में सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम (सीपीवीएफ) को कार्यान्वित करने का मामला विचाराधीन है। यह समावेशी विकास और कृषि समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप संबंधित योजनाओं के साथ एकीकरण, वित्तीय और तकनीकी संसाधनों का अधिकतम उपयोग और भारतीय किसानों को लाभ का अधिकतम लाभ सुनिश्चित करेगा। **खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीओएफपीडी)** मोटे अनाजों की संवितरण अवधि/ शेल्फ लाइफ को पहले के 3 महीने से बढ़ाकर 6-10 महीने कर दिया गया था, जिसके कारण लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस)/ अन्य कल्याण योजनाओं

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			(ओडब्ल्यूएस) के तहत अधिक खरीद और वितरण संभव हुआ है। मोटे अनाजों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए एमएसपी के अधिग्रहण चरण पर प्रशासनिक शुल्क को एमएसपी के 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत करना। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) कमी वाले राज्यों को अधिशेष खरीद वाले राज्यों के साथ समन्वय करके श्री अन्न के अंतर-राज्यीय परिवहन की सुविधा प्रदान करेगा। टीपीडीएस/ ओडब्ल्यूएस में छोटे मिलेट को शामिल करना: सरकार ने अगले तीन वर्षों (2023 से) के लिए रागी के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) योजना के तहत छह प्रकार के छोटे अनाज को शामिल करके राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बाजरा की खरीद के दायरे का विस्तार किया था: फॉक्सटेल मिलेट (कंगनी/ काकुन), प्रोसो मिलेट (चीना), कोडो मिलेट (कोदो), लिटिल मिलेट (कुटकी), कुट्टू-गेहूं और अमेरेंथस (चौलाइ)। श्री अन्न की रिकॉर्ड खरीद (खरीफ विपणन सीजन (केएमएस) 2023-24 के दौरान 12.55 लाख मीट्रिक टन की कुल खरीद, खरीफ विपणन सत्र 2022-23 के दौरान खरीद की तुलना में 170% अधिक है)। **सहकारिता मंत्रालय (एमओसी)** केंद्रीय क्षेत्र की योजना, '10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन' के तहत, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत एफपीओ के गठन और संवर्धन के लिए कार्यान्वयन

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			एजेंसी के रूप में नामित किया गया था। एफपीओ के गठन और प्रचार के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा एनसीडीसी को कुल 1,863 ब्लॉक आवंटित किए गए थे। एनसीडीसी को आवंटित सभी 1863 एफपीओ अब राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत/ शामिल हैं। **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई)** (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश भर में अपनी केन्द्रीय क्षेत्र की प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) स्कीम, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए केन्द्रीय क्षेत्र उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआईएसएफपीआई) और केन्द्र प्रायोजित पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) स्कीम के माध्यम से फल एवं सब्जियों के प्रसंस्करण और बाजरा इकाइयों सहित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/ विस्तार को प्रोत्साहित कर रहा है। ये योजनाएं क्षेत्र विशिष्ट नहीं हैं बल्कि मांग आधारित हैं। (ख) फल एवं सब्जी परियोजनाएं - मंत्रालय ने इन स्कीमों में फल एवं सब्जी क्षेत्र की 382 परियोजनाओं का समर्थन किया है। इनमें से 273 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 109 परियोजनाएं चल रही हैं और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। (ग) बाजरा (श्री-अन्न) - प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (पीएमएफएमई) योजना के अंतर्गत देश के 21 जिलों में मोटे अनाज आधारित उत्पादों को एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) के

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			रूप में चिन्हित किया गया है। देश के 30 जिलों में मिलेट महोत्सव का आयोजन किया गया है। मोटे अनाज-आधारित उत्पादों के निर्माण में लगे 3,866 उद्यमियों को कुल ₹197.50 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। (घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआईएसएफपीआई) का एक घटक 800 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मोटे अनाज आधारित उत्पादों (एमबीपी) पर केन्द्रित है। मोटे अनाज-आधारित उत्पादों के लिए पीएलआई योजना (पीएलआईएसएमबीपी) का उद्देश्य खाद्य उत्पादों में मोटे अनाज के उपयोग को बढ़ाना और घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों में चयनित बाजरा-आधारित उत्पादों के विनिर्माण और बिक्री को प्रोत्साहित करके उनके मूल्यवर्धन को बढ़ावा देना है। अब तक, पीएलआईएसएमबीपी के लिए ₹800 करोड़ के कुल आवंटन में से 29 आवेदकों को प्रोत्साहित करने के लिए ₹793.27 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें 8 बड़ी और 21 छोटी और मध्यम निकाय शामिल हैं।
7.	18	**बिहार में मखाना बोर्ड** इसके लिए बिहार के लोगों के लिए एक खास अवसर है। मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार के लिए प्रदेश में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। इन गतिविधियों में लगे लोगों को एफपीओ में संगठित किया जाएगा। बोर्ड मखाना किसानों को सहायता और	**कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएफडब्ल्यू)** एसएफसी द्वारा अनुशंसित मखाना विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना को माननीय कृषि मंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया है। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना को दिनांक 14.09.2025 की राजपत्र अधिसूचना में अधिसूचित किया गया था और दिनांक 15.09.2025 को शुरू किया गया था। माननीय कृषि मंत्री द्वारा मखाना के विकास पर केंद्रीय क्षेत्र की योजना के दिशा-निर्देशों को भी

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		प्रशिक्षण सहायता प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए भी काम करेगा कि उन्हें सभी संबंधित सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त हो।	मंजूरी दी गई। इस योजना के अंतर्गत संभावित राज्यों से प्रस्ताव मांगे गए थे। मखाना के विकास पर केंद्रीय क्षेत्र की योजना के दिशा-निर्देशों को संभावित राज्यों के साथ साझा किया गया है ताकि वे अपनी कार्य योजनाएं प्रस्तुत कर सकें। बोर्ड की पहली बैठक दिनांक 12.12.2025 को विभिन्न एजेंडे के साथ बुलाई गई थी। योजना (2025-26) के लिए कार्य योजना पर भी चर्चा की गई और आगे की कार्रवाई के लिए सिफारिश की गई। **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई)** केंद्र प्रायोजित पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज (पीएमएफएमई) योजना के तहत मखाना के लिए एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) के लिए बिहार के छह (6) जिलों की पहचान की गई है, जो मखाना प्रसंस्करण उद्यमों सहित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार, पीएमएफएमई योजना के तहत 10 ओपीडीओ ब्रांड और 20 उत्पाद लॉन्च किए गए हैं। इन 10 ब्रांडों में से, ब्रांड "मखाना किंग" को 2 उत्पादों के साथ लॉन्च किया गया है, जिसमें बिहार के दरभंगा जिले से सादा मखाना और चटपटा मखाना शामिल हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय बिहार सहित देश में मखाना प्रसंस्करण इकाइयों सहित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना/ विस्तार को बढ़ावा

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			देने के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमताओं के सृजन/ विस्तार की योजना (सीईएफपीपीसी) का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना में सामान्य क्षेत्रों में पात्र परियोजना लागत की 35 प्रतिशत की दर और दुर्गम क्षेत्रों में पात्र परियोजना लागत की 50 प्रतिशत की दर और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, एफपीओ और एसएचजी की परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान की परिकल्पना की गई है, जो अधिकतम ₹5.00 करोड़ है। इच्छुक उद्यमी मखाना प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए आवेदन कर सकते हैं जब भी मंत्रालय रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करता है। अब तक, मंत्रालय ने पीएमएफएमई योजना के तहत ₹877 लाख की सब्सिडी के साथ मखाना और मखाना उत्पादों के लिए 292 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को मंजूरी दी है।
8.	19	**अधिक उपज देने वाले बीजों संबंधी राष्ट्रीय मिशन** उच्च उपज वाले बीजों संबंधी एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया जाएगा, जिसका उद्देश्य (1) अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, (2) उच्च उपज, कीट प्रतिरोध और जलवायु प्रतिरोधी बीजों का लक्षित विकास और प्रसार, और (3) जुलाई 2024 से जारी 100 से अधिक बीज किस्मों की व्यावसायिक उपलब्धता है।	**कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डीएआरई)** **कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएफडब्ल्यू)** विभिन्न मूल्यांकन एजेंसियों की टिप्पणियों सहित संशोधित ईएफसी दस्तावेज व्यय विभाग को प्रस्तुत कर दिया गया है।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
9.	20	**मत्स्य पालन** भारत मछली उत्पादन और जलीय कृषि में विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा स्थान रखता है। समुद्री खाद्य निर्यात ₹60 हजार करोड़ का है। समुद्री क्षेत्र की अप्रयुक्त क्षमता का दोहन करने के लिए, हमारी सरकार अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह पर विशेष ध्यान देने के साथ भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और उच्च समुद्रों से मत्स्य पालन के स्थायी दोहन के लिए एक सक्षम ढांचा लाएगी।	**मत्स्य पालन विभाग (डीओएफ)** मत्स्य पालन विभाग ने 'प्रादेशिक जल महाद्वीपीय शेल्फ विशेष आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्र अधिनियम, 1976 के तहत भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम 2025 में मत्स्य पालन के सतत दोहन' के प्रस्ताव और 'भारतीय ध्वज वाले मछली पकड़ने वाले जहाजों द्वारा गहरे समुद्र में मत्स्य पालन के सतत दोहन के लिए दिशानिर्देश, वर्ष 2025' के प्रस्ताव पर हितधारकों की टिप्पणियां आमंत्रित कीं। भारतीय ध्वज वाले मछली पकड़ने वाले जहाजों द्वारा गहरे समुद्र में मत्स्य पालन के सतत दोहन के लिए दिशानिर्देश 2025 का प्रस्ताव विदेश मंत्रालय में विचाराधीन है।
10.	21	**कपास उत्पादकता के लिए मिशन** लाखों कपास उत्पादक किसानों के लाभ के लिए, मुझे 'कपास उत्पादकता के लिए मिशन' की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। यह 5 वर्ष का मिशन कपास की खेती की उत्पादकता और स्थिरता में महत्वपूर्ण सुधार की सुविधा प्रदान करेगा, और अतिरिक्त लंबी स्टेपल कपास किस्मों को बढ़ावा देगा। किसानों को सर्वोत्तम विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान की जाएगी। कपड़ा क्षेत्र के लिए हमारे एकीकृत 5च विजन के अनुरूप, यह किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगा, और भारत के पारंपरिक कपड़ा क्षेत्र का फिर से	**कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डीएआरई)** ईएफसी को दिनांक 27.5.2025 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में कपास संबंधी वस्त्र सलाहकार समूह (टीएजी) की 10वीं इंटरैक्टिव मीट में प्रस्तुत किया गया था। डीएआरई, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से तैयार कपास उत्पादकता मिशन पर अवधारणा नोट परिचालित किया गया। मिशन कपास उत्पादकता (एमसीपी) पर ईएफसी के संबंध में दिनांक 06.11.2025 को डीएआरई, डीएएफडब्ल्यू, वस्त्र, एमओईएफसीसी, डीबीटी, डीएसटी, डीएसआईआर के सचिवों की एक बैठक आयोजित की गई। **वस्त्र मंत्रालय (एमओटी)** दिनांक 01.03.2025 को एक बजट-उपरांत वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		कायाकल्प करने के लिए बेहतर कपास की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।	प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से सभा को संबोधित किया। वेबिनार में किसानों, एफपीओ, गिनर्स, स्पिनर्स, उद्योग विशेषज्ञों आदि सहित पूरी 5एफ मूल्य श्रृंखला को शामिल करते हुए 354 स्थानों के कुल 900 हितधारकों ने भाग लिया। वेबिनार में अध्यक्ष-टीएजी, कार्यकारी निदेशक-आईसीएसी (संयुक्त राष्ट्र मान्यता प्राप्त निकाय), वैज्ञानिकों और उद्योग जगत के प्रमुखों सहित प्रतिष्ठित पैनलिस्टों ने अपने विचार व्यक्त किए। किए गए परामर्शों और प्राप्त सुझावों/ फीडबैक के आधार पर, अवधारणा नोट तैयार किया गया है और अंतर-मंत्रालयी परामर्श के लिए एक मसौदा ईएफसी नोट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मंत्रालय ने जांच और टिप्पणियों के लिए संशोधित ईएफसी को डीएआरई के साथ साझा किया है।
11.	22	**केसीसी के माध्यम से संवर्धित ऋण** किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के लिए अल्पकालिक ऋण की सुविधा प्रदान करता है। संशोधित ब्याज सहायता योजना के तहत केसीसी के माध्यम से लिए गए ऋणों के लिए ऋण सीमा को ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख किया जाएगा।	**कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएफडब्ल्यू)** ईएफसी की बैठक दिनांक 09.04.2025 को आयोजित की गई थी और ईएफसी से प्राप्त सिफारिश के अनुसार मंत्रिमंडल नोट तैयार किया गया है। तमिलनाडु और गुजरात में एक ऐड-ऑन फील्ड अध्ययन किया गया। इसके अलावा, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान (आईएसईसी), बेंगलुरू के माध्यम से योजना का तृतीय पक्ष मूल्यांकन अध्ययन भी किया गया था। चूंकि इस योजना को अगले वित्त आयोग चक्र की समीक्षा करनी है और इसके लिए ईएफसी तैयार किया जा रहा है, इसलिए बजट घोषणा के कार्यान्वयन को नए ईएफसी के साथ मिला दिया गया है।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			पशुपालन और डेयरी विभाग (डीओएएचडी) संशोधित ब्याज सहायता योजना पर दिनांक 09.04.2025 को आयोजित ईएफसी की बैठक और उसके बाद दिनांक 28.05.2025 को आयोजित कैबिनेट की बैठक में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत दिनांक 27.05.2025 के मंत्रिमंडल नोट पर विचार किया गया और निम्नलिखित को मंजूरी दी गई: i. केसीसी के माध्यम से 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ₹3.00 लाख तक के अल्पकालिक ऋण देने के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पात्र ऋण प्रदाता संस्थानों को 1.5% की अग्रिम राशि जारी रखना। ii.वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उपरोक्त घटक के लिए ₹15,642 करोड़ के व्यय को मंजूरी दी। कृषि मंत्रालय इस सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने की संभावना का अध्ययन करने के लिए योजना का मूल्यांकन अध्ययन कर रहा है। **मत्स्य विभाग (डीओएफ)** सभी प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी होने के पश्चात प्रस्तावित परिवर्तनों को कार्यान्वयन करने के लिए वित्तीय निकायों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएंगे। **वित्तीय सेवाए विभाग (डीएफएस)** (एमआईएसएस) के मूल्यांकन के लिए एफसीआर पर ज्ञापन लाया जाएगा जिसमें एमआईएसएस के अंतर्गत उपलब्ध आईएस और पीआरआई सहित 3 लाख की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख करने के लिए 8.4.2025 को ईएफसी की बैठक में अनुमोदित किया गया था। दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात तदनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
12.	23	**असम में यूरिया संयंत्र** यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए, हमारी सरकार ने पूर्वी क्षेत्र में तीन निष्क्रिय यूरिया संयंत्रों को पुनः आरंभ किया था। यूरिया की आपूर्ति को अधिक बढ़ाने के लिए, असम के नामरूप में **12.7** लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा।	**उर्वरक विभाग (डीओएफ)** मंत्रिमंडल ने 19.03.2025 को आयोजित अपनी बैठक में असम के नामरूप स्थित ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल) के मौजूदा परिसर में 12.7 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) वार्षिक यूरिया उत्पादन क्षमता वाले अमोनिया-यूरिया कॉम्प्लेक्स की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी। जिसकी अनुमानित कुल लागत ₹ 10601.40 करोड़ है और संयुक्त उद्यम (जेवी) के माध्यम से ऋण-इक्विटी अनुपात 70:30 पर नई निवेश नीति, 2012 और उसके दिनांक 07.10.2014 के संशोधनों के तहत यह परियोजना स्थापित की जाएगी। बीवीएफसीएल की 11% हिस्सेदारी संयुक्त उद्यम कंपनी को हस्तांतरित की जाने वाली मूर्त संपत्तियों के बदले में है। इस परियोजना के चालू होने की अनुमानित कुल अवधि 48 महीने है। इसके फलस्वरूप, सभी हितधारकों द्वारा दिनांक 04.07.2025 को संयुक्त उद्यम समझौता (जेवीए) पर हस्ताक्षर किए गए और दिनांक 25.07.2025 को "असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड (एवीएफसीसीएल)" नाम से एक संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) का गठन किया गया। प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड (पीडीआईएल) ने दिनांक 03.10.2025 को झाड़ी सफाई, स्थलाकृतिक और समोच्च सर्वेक्षण कार्य (परियोजना-पूर्व गतिविधियां) के लिए निविदा जारी की।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
13.	24	**ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक के रूप में भारतीय डाक** **1.5** लाख ग्रामीण डाकघरों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और **2.4** लाख डाक सेवकों के विशाल नेटवर्क से युक्त इंडिया पोस्ट को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने हेतु पुनर्स्थापित किया जाएगा।	**डाक विभाग (डीओपी)** ग्रामीण सामुदायिक केंद्र (आरसीएच) सहस्थापन: (एमओआरडी) ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) ग्रामीण उद्यमिता केंद्र (आरईएच) स्थापित कर रहा है। डाकघरों की सेवाओं को आरईएच के साथ एकीकृत करने की रणनीति विकसित करने के लिए के साथ बातचीत जारी है ताकि इस उद्देश्य को पूरा किया जा सके। संस्थागत खाता सेवा: वर्तमान में, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) संस्थागत खातों के लिए सक्रिय नहीं है। आईपीपीबी बजट घोषणा के कार्यान्वयन की दिशा में काम कर रहा है। बैंक ने अन्य बैंक ग्राहकों के दोहरे/ बहु प्रमाणीकरण के माध्यम से संस्थागत खातों के लिए नकद निकासी जैसी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक रोडमैप तैयार किया है। इस प्रक्रिया में संस्थागत खाते को शामिल करने के लिए तकनीकी सक्षमता और बैंक मॉडल में परिवर्तन शामिल है। कार्यान्वयन की अनुमानित समयसीमा 8 से 12 महीने है। डीबीटी, कैश आउट और ईएमआई पिकअप: आईपीपीबी ने हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभार्थियों के लिए खाते खोलने हेतु एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। बैंक ने ईएमआई वसूली सेवाओं के लिए एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) लोक सुविधा वित्तीय सेवा को अपने साथ जोड़ा है और कई अन्य एनबीएफसी/ सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) के साथ ईएमआई वसूली सेवाओं के लिए बातचीत कर

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			रहा है। आईपीपीबी पहले से ही भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) प्लेटफॉर्म पर सक्रिय 100 से अधिक एनबीएफसी, बैंकों और वित्तीय संस्थानों (एफआई) को सहायता प्राप्त मोड में (खाते के माध्यम से) ईएमआई वसूली सुविधा प्रदान कर रहा है। आईपीपीबी ईएमआई पिकअप/ कलेक्शन सेवाओं की एक उत्पाद श्रृंखला विकसित करने पर काम कर रहा है। यह सेवा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को पास के डाकघर/ घर-घर ईएमआई राशि जमा करने में मदद करेगी, जिससे विशेष रूप से ग्रामीण और कम बैंकिंग सुविधाओं वाले क्षेत्रों में ऋण पहुंच को बढ़ावा मिलेगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर: दिनांक 31.10.2025 तक कुल पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक (पीओएसबी) आधार सीडेड अकाउंट 33.85 लाख हैं और अक्टूबर, 2025 के दौरान पीओएसबी के ज़रिए ₹433.47 करोड़ की रकम बांटी गई है। इसके अलावा, सितंबर तक 5.8 करोड़ से ज़्यादा आईपीपीबी ग्राहकों को उनके अकाउंट में डीबीटी मिला है और मौजूदा वित्त वर्ष में सितंबर तक आईपीपीबी के ज़रिए ₹34,000 करोड़ से ज़्यादा डीबीटी रकम बांटी गई है - जो उद्योग का 11% हिस्सा है। प्रधानमंत्री किसान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) में डीओपी का 13% हिस्सा है। बैंक डीबीटी मैंडेट के लिए अलग-अलग केंद्र और राज्य सरकार के विभागों के साथ प्रभावशाली रूप से संपर्क कर रहा है। सितंबर 2025 के दौरान 2.22 करोड़ डीबीटी लाभार्थियों को ₹ 5,428 करोड़ मिले। भारत सरकार के कुल डीबीटी में आईपीपीबी का कुल बाजार शेयर 11% है।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			नकद निकासी: किसी भी बैंक का कस्टमर आईपीपीबी एवं यूज़र्स के ज़रिए आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (एईपीएस) मॉडल से पैसे/ डीबीटी बेनिफिट्स निकाल सकता है। बैंक डीबीटी लाभार्थियों को नकद निकासी की सेवा प्रदान कर रहा है। बैंक ने सितंबर 2025 के दौरान एईपीएस मॉडल के ज़रिए उपभोक्ताओं को 169 करोड़ रुपये नकद दिए हैं। इन सेवाओं का विस्तार एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि ऐसी सुविधाओं को सभी व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए सरकार और प्राइवेट संगठनों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। माइक्रो-एंटरप्राइजेज के लिए क्रेडिट सेवाएं: आईपीपीबी बैंकों/ एनबीएफसीएस, जिसमें प्राइवेट कंपनियां भी शामिल हैं, के साथ पार्टनरशिप में ग्रामीण और अंडरबैंक्ड इलाकों में क्रेडिट सेवाएं दे रहा है। माइक्रो एंटरप्राइजेज के लिए क्रेडिट प्रोडक्ट्स को कस्टमाइज़ करने के लिए दूसरे हितधारकों के साथ बातचीत चल रही है। आईपीपीबी अपने पार्टनर्स के लिए कम लागत में डिजिटल रूप से सक्षम कम मूल्य वाले क्रेडिट वितरण पर भी काम कर रहा है। फिलहाल आईपीपीबी सात पार्टनर्स के साथ मौजूद है। यह खासकर ग्रामीण इलाकों में इन पार्टनर्स द्वारा दिए गए गृह, व्यक्तिगत, ऑटो, एग्री, केसीसी, गोल्ड, ट्रैक्टर, व्यवसायिक वाहन, ट्रैक्टर ऋण तक सीधे पहुंच प्रदान कर रहा है, सितंबर 2025 के दौरान पार्टनर्स के लिए लगभग ₹9.8 करोड़ के 245 से ज़्यादा ऋण बांटे गए।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			बीमा: आईपीपीबी अपने पार्टनर्स के ज़रिए मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में किफायती जीवन बीमा और सामान्य बीमा (स्वास्थ्य, गाड़ी इत्यादि) की सुविधा दे रहा है। बैंक ने सितंबर 2025 के दौरान 2.58 लाख अतिरिक्त ग्राहकों का जीवन बीमा किया है। डाक विभाग में, पोस्टल जीवन बीमा (पीएलआई) और ग्रामीण पोस्टल जीवन बीमा (आरपीएलआई) की पॉलिसी और प्रीमियम संकलन की संख्या में नीचे दिए गए अनुसार बढ़ोतरी हुई है: पीएलआई और आरपीएलआई: **खरीदी गई पॉलिसियों की संख्या:** • 2023-24 - 16,29,739 • 2024-25 - 22,93,965 (% वृद्धि- 40.75) • 2025-26 (अक्टूबर तक) - 11,00,790 **प्रीमियम संग्रह (करोड़ में):** • 2023-24 - 16,387.54 • 2024-25 - 18,782.25 (%वृद्धि - 14.61) • 2025-26 (अक्टूबर तक) - 11,401.13 सहायक डिजिटल सेवाएं: आज तक, डाकघर और आईपीपीबी की संयुक्त सुविधाओं के माध्यम से निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध हैं - उपयोगिता बिल भुगतान (बिजली, पानी, एलपीजी, डीटीएच आदि), मनी ट्रांसफर (आईएमपीएस/ एनईएफटी), खाता खोलना (डिजिटल केवाईसी), मोबाइल ऐप सहायता (ग्राहकों को बैंक ऐप डाउनलोड करने, पंजीकरण करने और उपयोग करने में मदद करना) सेवाएं।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			दिनांक 25.10.2025 तक, डाकघर बचत बैंक (पीओएसबी) के मामले में पूर्ण की गई ई-केवाईसी की कुल संख्या 59,976 थी, पुन:-केवाईसी पूरी की गई संख्या 6.73 लाख थी और ई-केवाईसी के माध्यम से खोले गए खाते 80,875 थे। आईपीपीबी डाकियों और ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) के विशाल नेटवर्क के माध्यम से ही डिजिटल तरीके से सभी बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहा है। आईपीपीबी ने सितंबर 2025 में लगभग 6.7 करोड़ लेनदेन किए हैं। यह एक सतत प्रक्रिया होगी। **ग्रामीण विकास विभाग (डीओआरडी)** आईपीपीबी और आरएल टीम ने सीएलएफ-वीओ-एसएचजी के लिए बीसी पहल, बीमा और संस्थागत खाता सेवा जैसे सभी क्षेत्रों की पहचान के बारे में विस्तार से चर्चा की। चर्चा के आधार पर, दोनों टीमों ने एसएचजी परिवारों के लिए डाक विभाग (डीओपी) की बीसी पहल और बचत योजनाओं को बढ़ावा देने पर संयुक्त रूप से काम करने पर सहमति व्यक्त की। बीसी पहल के संबंध में, दोनों विभागों ने पहले ही प्रमुख के रूप में इस पर काम करना शुरू कर दिया है। इस विभाग ने 1,400 प्रशिक्षित और प्रमाणित एसएचजी सदस्यों की एक सूची साझा की है, जिन्हें आईपीपीबी, डाक विभाग द्वारा बीसी के रूप में तैनात किया जाएगा। सहमत पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दोनों विभागों के बीच एक व्यापक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। **वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस)** ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक के रूप में भारतीय डाक की भूमिका सहित ग्रामीण क्षेत्रों में

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			आईपीपीबी को गहन और विस्तारित करने के लिए की जा रही विभिन्न पहलों की प्रभावी रूप से अंतिम व्यक्ति तक पहुंच तथा डीएफएस और डाक विभाग के बीच अधिक तालमेल के लिए डीएफएस से एक प्रतिनिधि नामित किया गया है। **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय** एमएसएमई मंत्रालय सूक्ष्म उद्यमों को निर्दिष्ट सेवाएं प्रदान करने में भारतीय डाक की सुविधा प्रदान करेगा।
14.	25	भारतीय डाक को भी एक बड़े पब्लिक लॉजिस्टिक्स संगठन के रूप में बदल दिया जाएगा। यह विश्वकर्माओं, नए उद्यमियों, महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों, एमएसएमई और बड़े व्यापारिक संगठनों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करेगा।	**डाक विभाग (डीओपी)** डाक लॉजिस्टिक्स अवसंरचना परियोजना के लिए अंतिम पीआईबी ज्ञापन दिनांक 21.10.2025 को वित्त मंत्रालय की ईएफसी/ एसएफसी/ पीआईबी/ सीईई प्रबंधन प्रणाली वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। व्यय विभाग द्वारा ईएफसी की बैठक शीघ्र ही बुलाई जाने की संभावना है। इस परियोजना का उद्देश्य भारतीय डाक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को बदलना और आधुनिक बनाना, मेल और पार्सल संचालन में दक्षता में सुधार करना, अंतर-शहर लॉजिस्टिक्स को अनुकूलित करना और सेवाओं की अंतिम-छोर तक सुपुर्दगी को मजबूत करना है। इसके अलावा, परियोजना को 2026-27 से 2030-31 की अवधि में कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। **ग्रामीण विकास विभाग (डीओआरडी)** भारतीय डाक ने हाल ही में आयोजित डीएवाई-एनआरएलएम विचार-मंथन विपणन कार्यक्रम में भाग लिया, जहां भारतीय डाक ने एसएचजी उत्पाद विपणन और लॉजिस्टिक्स का समर्थन करने के

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			लिए 1.39 लाख डाकघरों के अपने व्यापक ग्रामीण नेटवर्क का लाभ उठाने पर जोर दिया। डाक चौपाल की अवधारणा को ग्रामीण एकत्रीकरण, अंतिम-छोर तक वितरण और सामुदायिक जुड़ाव के लिए एक मॉडल के रूप में पेश किया गया था। भारतीय डाक ने स्वयं सहायता समूहों के लिए निर्यात प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने की भी पेशकश की- जिसमें दस्तावेज़ीकरण और सीमा शुल्क सहायता शामिल है - और ग्रामीण-से-शहरी और ग्रामीण-से-वैश्विक बाजार पहुंच के लिए कार्यनीतिक अवसंरचना के रूप में डाक निवारण केंद्र और एम्पोरिया जैसे प्लेटफार्मों पर प्रकाश डाला। विपणन कार्यक्रम के बाद, दोनों टीमों के बीच कई बैठके हुई है और सहयोग के क्षेत्रों को अंतिम रूप दिया गया है तथा समझौता ज्ञापन खंडों को अंतिम रूप दिया गया है। **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय** एमएसएमई मंत्रालय महिलाओं सहित विश्वकर्मा और एमएसएमई को लॉजिस्टिक सहायता के लिए भारतीय डाक के साथ सहयोग करेगा।
15.	26	**एनसीडीसी को सहायता** हमारी सरकार सहकारी क्षेत्र के लिए अपने ऋण कार्यों के लिए एनसीडीसी को सहायता प्रदान करेगी।	**सहकारिता मंत्रालय (एमओसी)** मंत्रिमंडल ने दिनांक 31.07.2025 को एनसीडीसी को ₹2000 करोड़ (2025-26 से 2028-29 तक प्रत्येक ₹500 करोड़) की सहायता अनुदान को मंजूरी दी। एनसीडीसी बाजार से ₹20,000 करोड़ जुटाएगा। एनसीडीसी ने योजना के कार्यान्वयन की दिशा में कदम उठाए हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹500 करोड़ के आवंटन में से एनसीडीसी को अनुदान सहायता के रूप में ₹125 करोड़ की धनराशि का आवंटन किया गया है।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
16.	28	**एमएसएमई के लिए वर्गीकरण मानदंड में संशोधन** वर्तमान में, 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत एमएसएमई, 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं, और हमारे विनिर्माण का 36 प्रतिशत उत्पादन करते हैं, इन दोनों ने मिलकर भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित किया हैं। अपने गुणवत्ता वाले उत्पादों के साथ, ये एमएसएमई हमारे निर्यात के 45 प्रतिशत में सहायक है। पैमाने, तकनीकी उन्नयन और पूंजी तक बेहतर पहुंच की उच्च दक्षता हासिल करने में उनकी मदद करने के लिए, सभी एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर सीमा को क्रमशः 2.5 और 2 गुना तक बढ़ाया जाएगा। इससे उन्हें हमारे युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने और बढ़ने का आत्मविश्वास मिलेगा।	**सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय** एमएसएमई के लिए वर्गीकरण मानदंड को संशोधित करने वाली राजपत्र अधिसूचना दिनांक 21.03.2025 को जारी की गई है और यह दिनांक 01.04.2025 से लागू हो गई है।
17.	29 (क)	**गारंटी कवर के साथ ऋण उपलब्धता में महत्वपूर्ण वृद्धि** ऋण तक पहुंच में सुधार के लिए, निम्नलिखत क्रेडिट गारंटी कवर को बढ़ाया जाएगा: क) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए, ₹5 करोड़ से बढ़ाकर ₹10 करोड़, जिससे अगले 5 वर्षों में ₹1.5 लाख करोड़ का अतिरिक्त ऋण होगा;	**सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमओएमएसएमई)** सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए गारंटी कवरेज की सीमा बढ़ाने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) द्वारा सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी बैंकों, विदेशी बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थानों को परिपत्र (संख्या 250/ 2024-25) दिनांक 18.03.2025 को जारी किया गया है। यह दिनांक 01.04.2025 से लागू हो गया है।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
	29(ख)	ख) स्टार्टअप्स के लिए, ₹10 करोड़ से बढ़ाकर ₹20 करोड़, आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण 27 फोकस क्षेत्रों में ऋण के लिए गारंटी शुल्क को घटाकर 1 प्रतिशत किया गया है; और	**उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी)** बजट घोषणा और अन्य परिचालन इनपुट को शामिल करते हुए संशोधित योजना दिशानिर्देश दिनांक 08.05.2025 को अधिसूचित किए गए हैं।
	29(ग)	ग) अच्छी तरह से संचालित निर्यातक एमएसएमई के लिए, सावधि ऋण हेतु ₹20 करोड़।	**वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस)** एक्जिम बैंक और एनसीजीटीसी के संशोधित मसौदे को अंतर-मंत्रालयी परामर्श के लिए संबंधित हितधारकों को परिचालित किया जा रहा है।
18.	30	**सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड** हम उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपये की सीमा के साथ अनुकूलित क्रेडिट कार्ड पेश करेंगे। पहले साल में ऐसे 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे।	**वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस)** बैंकों, सूक्ष्म उद्यमों और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ हितधारक परामर्श दिनांक 22.4.2025 को आयोजित किया गया था। भारतीय बैंक संघ (आईबीए) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के परामर्श से एक मसौदा योजना तैयार की गई है। मसौदा मॉडल योजना दिशानिर्देशों को इनपुट के लिए चुनिंदा बैंकों के साथ साझा किया गया है। **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमओएमएसएमई)** तौर-तरीकों पर चर्चा करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय और डीएफएस के बीच दिनांक 11.09.2025 को एक बैठक आयोजित की गई थी।
19.	31	**स्टार्टअप्स के लिए निधियों का कोष** स्टार्टअप्स के लिए वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) को ₹91,000 करोड़ से अधिक की प्रतिबद्धता प्राप्त हुई है। इन्हें ₹10,000 करोड़ के सरकारी अंशदान के साथ स्थापित निधियों का	**उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी)** स्टार्टअप इंडिया निधियों का कोष 2.0 योजना के लिए मसौदा कैबिनेट नोट आगे के परामर्श के लिए तैयार किया गया है।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		कोष द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। अब, विस्तारित दायरे और ₹10,000 करोड़ के नए अंशदान के साथ एक नया निधियों का कोष स्थापित किया जाएगा।	
20.	32	**पहली बार के उद्यमियों के लिए योजना** 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पहली बार के उद्यमियों के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। यह अगले 5 वर्षों के दौरान ₹2 करोड़ तक के सावधि ऋण प्रदान करेगा। इस योजना में सफल स्टैंड-अप इंडिया योजना के अनुभव शामिल होंगे। उद्यमिता और प्रबंधकीय कौशल के लिए ऑनलाइन क्षमता निर्माण भी आयोजित किया जाएगा।	**वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस)** पहली बार महिला और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए नई योजना हेतु ईएफसी ज्ञापन के संबंध में हितधारकों की टिप्पणियों की जांच की जा रही है। **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय** दिनांक 04.03.2025 को बजट-उपरांत वेबिनार के दौरान एमएसएमई, इसके संघों और अन्य हितधारकों से बड़े पैमाने पर संपर्क किया गया। सिफारिशों को डीएफएस के साथ साझा किया गया है। **कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमओएसडीई)** मंत्रालय के इनपुट के आधार पर, स्टैंड-अप इंडिया योजना 2.0 पर ईएफसी नोट का मसौदा डीएफएस द्वारा उद्यमिता विकास से संबंधित निम्नलिखित मुख्य विशेषताओं के साथ तैयार किया गया है: (i) ईएफसी के मसौदे में यह रेखांकित किया गया है कि मंत्रालय उद्यमिता विकास प्रशिक्षण/ उद्यमिता पर ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित करेगा। सिडबी द्वारा विकसित स्टैंड-अप इंडिया 2.0 योजना के लिए समर्पित पोर्टल हेतु उद्यमिता और प्रबंधकीय कौशल के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			(ii) प्रशिक्षण पूरा होने पर, ऋण आवेदक को एक ऑनलाइन मूल्यांकन से गुजरना होगा। प्रशिक्षण पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मूल्यांकन की सफल मंजूरी अनिवार्य होगी, जो ऋण की मंजूरी के लिए एक शर्त होगी। (iii) मंत्रालय स्कूलों, आईटीआई/ व्यावसायिक संस्थानों और उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों के लिए एक नई राष्ट्रीय उद्यमिता योजना विकसित करने की प्रक्रिया में है।
21.	33	**श्रम-विशेष क्षेत्रों के लिए उपाय** श्रम प्रधान क्षेत्रों में रोजगार और उद्यमिता के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए, हमारी सरकार विशिष्ट नीति और सुविधा उपाय करेगी।	**उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी)** डीपीआईआईटी दो क्षेत्रों अर्थात खिलौने और चमड़ा में उपाय कर रहा है: 1. खिलौना क्षेत्र के लिए- खिलौनों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के आधार पर, डीपीआईआईटी भारत को खिलौनों के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए एक योजना लागू करेगा, जिसमें क्लस्टर, कौशल और एक विनिर्माण व्यवस्था के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जो 'मेड इन इंडिया ब्रांड' का प्रतिनिधित्व करने वाले उच्च गुणवत्ता वाले, अद्वितीय, अभिनव और टिकाऊ खिलौने बनाएगा। इस योजना का उद्देश्य कारीगरों, महिलाओं और एमएसएमई के विकास के लिए केंद्रित सहायता प्रदान करना भी होगा। यह पहल उद्योग और अन्य संबंधित मंत्रालयों/ विभागों के सहयोग से की जा रही है। 2. चमड़ा क्षेत्र के लिए- चमड़े के जूते और उत्पादों के लिए सहायता के अलावा, गैर-चमड़े की गुणवत्ता वाले जूतों के उत्पादन के लिए आवश्यक डिजाइन

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			क्षमता, घटक, विनिर्माण और मशीनरी की सहायता करने के लिए एक उत्पाद विशिष्ट योजना तैयार की जा रही है। इस योजना से 22 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे ₹4 लाख करोड़ का व्यापार होगा और ₹1.1 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात होगा।
22.	34	**फुटवियर और चमड़ा क्षेत्रों के लिए फोकस उत्पाद योजना** भारत के फुटवियर और चमड़ा क्षेत्र की उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए, एक फोकस उत्पाद योजना लागू की जाएगी। यह योजना चमड़े के जूते और उत्पादों के लिए सहायता के अलावा, गैर-चमड़े की गुणवत्ता वाले जूते के उत्पादन के लिए आवश्यक डिजाइन क्षमता, घटक निर्माण और मशीनरी की सहायता करेगी। इस योजना से 22 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे ₹4 लाख करोड़ का कारोबार और ₹1.1 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात होगा।	**उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी)** ईएफसी ने अंतर-मंत्रालयी परामर्श पूरा होने के बाद दिनांक 10.12.2025 को फुटवियर और लेदर ओरिएंटेड एडवांसमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन (एफएलओटी) कार्यक्रम पर ईएफसी ज्ञापन पर चर्चा की है।
23.	35	**खिलौना क्षेत्र के लिए उपाय** खिलौनों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के आधार पर, हम भारत को खिलौनों के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए एक योजना लागू करेंगे। यह योजना क्लस्टर, कौशल और एक विनिर्माण इकोसिस्टम के विकास पर	**उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी)** अवधारणा के साथ ईएफसी ज्ञापन के मसौदे पर अंतर-मंत्रालयी परामर्श पूरा हो चुका है। ईएफसी की बैठक निर्धारित करने के लिए व्यय विभाग (डीओई) को ईएफसी ज्ञापन प्रस्तुत कर दिया गया है।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		ध्यान केंद्रित करेगी जो उच्च गुणवत्ता वाले, अद्वितीय, अभिनव और टिकाऊ खिलौने बनाएगी जो 'मेड इन इंडिया' ब्रांड का प्रतिनिधित्व करेंगे।	
24.	36	**खाद्य प्रसंस्करण के लिए सहायता** 'पूर्वोदय' के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप, हम बिहार में एक राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना करेंगे। संस्थान पूरे पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों को एक मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करेगा। इसके परिणामस्वरूप (1) किसानों की उपज में मूल्यवर्धन के माध्यम से आय में वृद्धि होगी, और (2) युवाओं के लिए कौशल, उद्यमिता और रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।	**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई)** मंत्रालय ने वर्ष 2025-26 के दौरान बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम) की स्थापना के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके बाद, मंत्रालय के अधिकारियों के एक दल ने इसकी व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए प्रस्तावित स्थल का दौरा किया। इसके साथ ही, हितधारकों के बीच एक सीईई नोट भी परिचालित किया गया है जिसमें उनकी टिप्पणियां मांगी गई हैं, जो अब प्राप्त हो गई हैं। **कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमओएसडीई)** निफ्टेम, एक बार स्थापित होने के बाद, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कौशल को बढ़ावा देने के लिए पीएमकेवीवाई के तहत विशेष परियोजनाओं को मंजूरी दी जाएगी। निफ्टेम की आवश्यकता के अनुरूप अनुकूल नौकरी भूमिकाएं विकसित की जाएंगी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, एनआईएफटीईएम और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के साथ उनकी कौशल मांग और आवश्यकता को समझने के लिए कई बैठकें आयोजित की गईं। राष्ट्रीय महत्व का संस्थान (आईएनआई) होने के फलस्वरूप निफटेम को दिनांक 30.05.2025 को डीम्ड अवार्डिंग बॉडी (डुअल) के रूप में मान्यता दी गई है।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
25.	37	**विनिर्माण मिशन - "मेक इन इंडिया" को प्रोत्साहन** हमारी सरकार केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों के लिए नीतिगत सहायता, निष्पादन रोडमैप, शासन और निगरानी ढांचा प्रदान करके "मेक इन इंडिया" के प्रोत्साहन के लिए छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों को शामिल करते हुए एक राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन स्थापित करेगा।	**नीति आयोग** **उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी)** **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय** राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन पर कार्य प्रगति पर है। मिशन पांच प्रमुख क्षेत्रों पर जोर देगा अर्थात् व्यापार करने में आसानी और लागत, मांग वाली नौकरियों के भविष्य के लिए तैयार कार्यबल, एक जीवंत और गतिशील एमएसएमई क्षेत्र, विनियमन, प्रौद्योगिकी की उपलब्धता और गुणवत्ता वाले उत्पाद। विवरण पर काम करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है। नीति आयोग ने अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) की मसौदा रिपोर्ट को सभी सदस्यों की टिप्पणियां मांगी हैं। इस मामले पर नीति आयोग द्वारा कार्रवाई पर समन्वय किया जा रहा है। इस प्रस्ताव के लिए ईएफसी पहले ही आयोजित किया जा चुका है। **कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमओएसडीई)** एमएसडीई राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) संरेखित पाठ्यक्रमों को बढ़ावा दे रहा है और विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों के तहत संस्थानों से पुरस्कृत निकाय (एबी) बनने का अनुरोध कर रहा है। एमएसडीई ने सिफारिश की है कि डीपीआईआईटी द्वारा लागू खिलौने बनाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का समर्थन करते हुए सरकारी अनुबंधों आदि में एनएसक्यूएफ प्रमाणित उम्मीदवारों को काम पर रखने को प्राथमिकता दी जा सकती है। एमएसडीई ने खिलौनों के लिए

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीटी) की बैठकों में भाग लिया है और इसी तरह की नौकरी की भूमिकाओं में प्रशिक्षण की स्थिति और डीपीआईआईटी के साथ खिलौना उद्योग के तहत कौशल के लिए की जा सकने वाली नौकरी की भूमिकाओं को साझा किया है। औद्योगिक गलियारों में स्थापित उद्योगों की कार्यबल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्रवाई योग्य कदमों पर सहमत होने के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम के साथ बैठक विभिन्न लक्षित कौशल हस्तक्षेपों का पता लगाना और विनिर्माण उद्योगों का समर्थन करने के लिए एक रोडमैप तैयार करना। डीपीआईआईटी द्वारा चमड़ा और फुटवियर उद्योग के लिए एक संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) का गठन किया गया है। **वस्त्र मंत्रालय (एमओटी)** मंत्रालय राष्ट्रीय वस्त्र विनिर्माण मिशन तैयार करने की प्रक्रिया में है। एक कोर कमेटी का गठन किया गया है। राष्ट्रीय वस्त्र विनिर्माण मिशन के निर्माण के लिए एक मजबूत तंत्र को अंतिम रूप देने के लिए कई विचार-विमर्श चल रहे हैं।
26.	38	**स्वच्छ प्रौद्योगिकी विर्निमाण** जलवायु के अनुकूल विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को देखते हुए, यह मिशन स्वच्छ तकनीक विनिर्माण का भी समर्थन करेगा। इसका उद्देश्य घरेलू मूल्यवर्धन में सुधार करना और सौर पीवी सेल, ईवी बैटरी, मोटर्स और नियंत्रकों, इलेक्ट्रोलाइज़र, पवन टर्बाइन, बहुत उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन उपकरण और ग्रिड स्केल बैटरी के लिए हमारे इकोसिस्टम का निर्माण करना होगा।	**नीति आयोग** **विद्युत मंत्रालय (ओएमपी)** **उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी)** स्वच्छ तकनीक विनिर्माण पर राष्ट्रीय मिशन का काम प्रगति पर है। इस प्रस्ताव के लिए ईएफसी पहले ही आयोजित किया जा चुका है। **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई)** सौर पीवी सेल का विनिर्माण: मंत्रालय उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत सौर पीवी सेल की विनिर्माण क्षमता स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, जिसमें सौर पीवी सेल की लगभग 45 गीगावॉट विनिर्माण क्षमता प्रदान की गई है, जिसके वर्ष 2025-26, 2026-27 और 2027-28 के दौरान चालू होने की उम्मीद है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के लिए पीएलआई योजना के तहत प्रदान की गई सौर पीवी सेल विनिर्माण क्षमताओं की स्थापना की निगरानी और सुविधा प्रदान करेगा। उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के लिए पीएलआई योजना के तहत प्रदान की गई सौर पीवी सेल विनिर्माण क्षमता मार्च 2028 तक चालू होने की उम्मीद है। पवन: मंत्रालय ने 'मॉडल और निर्माताओं की अनुमोदित सूची (पवन) (एएलएमएम (पवन) के तहत प्रकार और गुणवत्ता प्रमाणित पवन टर्बाइनों को सूचीबद्ध करने के लिए एक प्रक्रिया शुरू की है। यह अनिवार्य करता है कि हब और नैकेल असेंबली/ विनिर्माण सुविधा भारत में होगी। इसके अलावा, एएलएमएम (पवन) में एक संशोधन जारी किया गया है जिसमें ब्लेड, टावर, गियरबॉक्स, जेनरेटर और विशेष बीयरिंग (यॉ, पिच और मेन बेयरिंग) जैसे प्रमुख पवन टरबाइन घटकों की सोर्सिंग को केवल मॉडल और निर्माताओं (पवन टरबाइन घटकों) की अनुमोदित सूची में सूचीबद्ध विनिर्माण सुविधाओं में से अनिवार्य किया गया है। वर्तमान में, 225 किलोवाट - 5.3 मेगावाट तक की क्षमता वाले 34 मॉडल वाले 15 निर्माता मंत्रालय की नवीनतम एएलएमएम (पवन) सूची में हैं।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			पवन क्षेत्र में मजबूत घरेलू विनिर्माण के साथ लगभग 70-80 प्रतिशत स्वदेशीकरण हासिल किया गया है। देश में पवन टरबाइनों की वर्तमान वार्षिक उत्पादन क्षमता लगभग 20000 मेगावाट है। हाइड्रोजन: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (एनजीएचएम) को लागू कर रहा है। "ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन (एसआईजीएचटी) कार्यक्रम के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप - घटक -I के तहत, प्रति वर्ष 3,000 मेगावाट की कुल क्षमता के लिए घरेलू इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। इलेक्ट्रोलाइज़र का घरेलू उत्पादन 2026-27 से शुरू होने की उम्मीद है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत कई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है जिसमें इलेक्ट्रोलाइज़र की दक्षता बढ़ाने के लिए अनुसंधान एवं विकास, एईएम इलेक्ट्रोलाइज़र का विकास, झिल्लियों का स्वदेशीकरण और गैर-कीमती धातु उत्प्रेरक का विकास शामिल है। ऊर्जा भंडारण: भारत सरकार ने 50 जीडब्ल्यूएच एसीसी क्षमता के लिए ₹18,100 करोड़ के परिव्यय के साथ पीएलआई-एसीसी योजना 'नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी स्टोरेज' को मंजूरी दे दी है। 50 जीडब्ल्यूएच की कुल लक्षित क्षमता में से 10 जीडब्ल्यूएच क्षमता ग्रिड स्केल स्टेशनरी स्टोरेज (जीएसएसएस) अनुप्रयोगों के लिए निर्धारित की गई है। नीति

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			आयोग राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन का संचालन कर रहा है। मिशन के तहत किसी भी अतिरिक्त हस्तक्षेप पर नीति आयोग के परामर्श से काम किया जाएगा, जो राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन का प्रमुख संस्थान है। **भारी उद्योग मंत्रालय (एमओएचआई)** भारत सरकार ने मई 2021 में 50 जीडब्ल्युएच एसीसी क्षमता के लिए ₹18,100 करोड़ के परिव्यय के साथ पीएलआई-एसीसी योजना नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी स्टोरेज को मंजूरी दे दी है। कुल 50 जीडब्ल्यूएच एसीसी क्षमता में से 30 जीडब्ल्यूएच क्षमता 3 लाभार्थी फर्मों को बोली के पहले दौर के दौरान प्रदान की गई है। इसके अलावा, एमएनआरई द्वारा अंतिम रूप दिए गए बोली दस्तावेजों के तहत ग्रिड स्केल स्टेशनरी स्टोरेज (जीएसएसएस) के लिए निर्धारित शेष 10 गीगावॉट क्षमता के लिए 1 लाभार्थी फर्म को बोली के राउंड-2 के दौरान 10 गीगावॉट क्षमता प्रदान की गई है।
27.	40	**सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0** सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रम पूरे देश में 8 करोड़ से अधिक बच्चों, 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं और आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 20 लाख किशोरियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करता है। पोषण सहायता के लिए लागत मानदंडों को उचित रूप से बढ़ाया जाएगा।	**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय** ईएफसी की बैठक दिनांक 13.05.2025 को आयोजित की गई है। 16वें वित्तीय चक्र के दौरान योजना को जारी रखने के लिए मूल्यांकन के दौरान मामले को रखा जाना है।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
28.	41	**अटल टिंकरिंग लैब्स** अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50 हजार अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए जाएंगे ताकि युवाओं में जिज्ञासा और नवाचार की भावना को बढ़ावा दिया जा सके और वैज्ञानिक सोच विकसित की जा सके।	**स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (डीओएसईएल)** **नीति आयोग** अटल नवाचार मिशन (एआईएम) के पहले चरण (एटीएल 1.0) में देशभर में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स (एटीएल) स्थापित की गई हैं। एआईएम के व्यापक फ्रेमवर्क के अंतर्गत, एटीएल के प्रचालन, विस्तार और निगरानी का कार्य शिक्षा मंत्रालय (एमओई) के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को आगे के विस्तार के लिए सौंपा जा रहा है। इस संबंध में मंत्रिमंडल नोट का मसौदा तैयार कर लिया गया है।
29.	42	**सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी** भारतनेट परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।	**दूरसंचार विभाग (डीओटी)** स्कूली शिक्षा विभाग ने 1,01,850 ग्रामीण सरकारी माध्यमिक विद्यालयों की सूची प्रदान की है, जिनमें से 26,649 सरकारी माध्यमिक विद्यालय पहले से ही जुड़े हुए थे। दिनांक 03.11.2025 तक, कुल 32,663 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को बीएसएनएल द्वारा जोड़ा जा चुका है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) ने 24,141 ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) की सूची प्रदान की है, जिनमें से 2,350 पीएचसी पहले से ही जुड़े हुए थे। दिनांक 03.11.2025 तक, कुल 2,602 ग्रामीण पीएचसी को बीएसएनएल द्वारा जोड़ा गया हैं। सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और पीएचसी को फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) कनेक्शन संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों के विभागों की मांग और भारतनेट नेटवर्क की व्यवहार्यता के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों के विभागों की मांग के आधार पर वर्तमान

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			वर्ष 2025-26 के लक्ष्य निम्नलिखित हैं: दिनांक 03.11.2025 तक संबंधित विवरण/ लक्ष्य: • माध्यमिक विद्यालय: 16,0716,014 • ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र: 10,955 252 **स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (डीओएसईएल)** बीएसएनएल द्वारा दिनांक 2 सितंबर 2025 को साझा की गई डीपीआर पर विस्तृत चर्चा हुई थी। अब तक 11 राज्यों ने बीएसएनएल के साथ मौजूदा या नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतनेट के तहत चरण-1 (ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल (ओएलटी) के 500 मीटर के दायरे में आने वाले स्कूल) के लिए पात्र स्कूलों की सूची बीएसएनएल शून्य स्थापना शुल्क के साथ साझा करेगा। **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (डीओएचएफडब्ल्यू)** परिवार कल्याण मंत्रालय ने परिवहन विभाग के साथ अक्षांश और देशांतर सहित 24,280 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) की सूची साझा की है। मंत्रालय ने राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को बीएसएनएल के साथ अनुमोदन और करारों में तीव्रता लाने और पीएचसी में समय पर भारतनेट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए केंद्रीकृत बिलिंग प्रणाली अपनाने का निदेश दिया है।
30.	43	**भारतीय भाषा पुस्तक योजना** हम स्कूली और उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषा की पुस्तकों को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने हेतु एक भारतीय भाषा पुस्तक योजना लागू करने का प्रस्ताव रखते हैं। इसका	**उच्चतर शिक्षा विभाग (डीएचई)** **स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (डीओएसईएल)** इस योजना का प्रस्तावित बजट तीन वर्षों अर्थात 2025-26 से 2027-28 के लिए ₹5554.80 करोड़ है। अब तक, अंतर-मंत्रालयी, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय हितधारकों के साथ परामर्श किया जा चुका

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		उद्देश्य छात्रों को अपने विषयों को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करना है।	है। ईएफसी की बैठक दिनांक 11.12.2025 को संपन्न हुई।
31.	44	**राष्ट्रीय कौशल विकास उत्कृष्टता केंद्र** जुलाई 2024 के बजट में घोषित पहल को आगे बढ़ाते हुए, "मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड" विनिर्माण के लिए आवश्यक कौशल से हमारे युवाओं को परिपूर्ण करने हेतु वैश्विक विशेषज्ञता और साझेदारियों के साथ पांच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन साझेदारियों में पाठ्यक्रम निर्माण, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, कौशल प्रमाणन फ्रेमवर्क और आवधिक समीक्षाएं शामिल होंगी।	**कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमओएसडीई)** **वस्त्र मंत्रालय (एमओटी)** **उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी)** मंत्रिमंडल ने दिनांक 7 मई 2025 को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) उन्नयन और कौशल विकास के लिए पांच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना हेतु राष्ट्रीय योजना को मंजूरी दी है जिसके परिणामस्वरूप, दिनांक 07.07.2025 को राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी) का गठन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री ने दिनांक 04.10.2025 को "उन्नत आईटीआई द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास एवं रोजगार क्षमता परिवर्तन (पीएम-सेतु)" योजना की शुरूआत की। अनुमोदित दिशा-निर्देश सार्वजनिक रूप से परिचालित किए गए हैं और कार्यान्वयन हेतु सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किए गए हैं। एनएसटीआई के लिए उद्योग सहभागी को शामिल करने हेतु दिनांक 20.11.2025 एक्सप्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट को जारी किया गया है।
32.	45	**आईआईटी में क्षमता विस्तार** पिछले 10 वर्षों में 23 आईआईटी में छात्रों की कुल संख्या 100 प्रतिशत बढ़कर 65,000 से 1.35 लाख हो गई है। वर्ष 2014 के बाद शुरू हुए 5 आईआईटी में अतिरिक्त अवसंरचना	**उच्चतर शिक्षा विभाग (डीएचई)** मंत्रिमंडल ने आईआईटी तिरुपति, आईआईटी पलक्कड़, आईआईटी भिलाई, आईआईटी जम्मू और आईआईटी धारवाड़ में 6,500 और छात्रों के लिए अतिरिक्त अवसंरचनात्मक और शैक्षणिक क्षमता सृजित करने के लिए आईआईटी के विस्तार के

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		तैयार की जाएगी ताकि 6,500 और छात्रों को शिक्षा प्रदान की जा सके। आईआईटी पटना में छात्रावास और अन्य अवसंरचना की क्षमता का भी विस्तार किया जाएगा।	दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसके लिए वर्ष 2025-26 से वर्ष 2028-29 तक ₹11,828.79 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इस योजना में 130 नए प्रोफेसर-लेवल पद और पांच अत्याधुनिक अनुसंधान पार्क शामिल हैं, जिनका उद्देश्य अंतःविषयक और उद्योग सहयोग को बढ़ावा देना है। आईआईटी पटना के संबंध में, सरकार ने छात्रों, संकाय और कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधाओं के विकास, शैक्षणिक ब्लॉक/ ट्यूटोरियल भवन, कार्यशालाओं, अनुसंधान पार्क ब्लॉक आदि के निर्माण के लिए उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (एचईएफए) से ₹644.54 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया है।
33.	46	**शिक्षा के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) उत्कृष्टता केंद्र** मैंने वर्ष 2023 में कृषि, स्वास्थ्य और संधारणीय शहरों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के तीन उत्कृष्टता केंद्रों की घोषणा की थी। अब शिक्षा के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक उत्कृष्टता केंद्र ₹500 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ स्थापित किया जाएगा।	**उच्चतर शिक्षा विभाग (डीएचई)** स्थायी वित्त समिति ने दिनांक 12.08.2025 को ₹500.0 करोड़ के कुल परिव्यय वाले शिक्षा क्षेत्र के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र (एआई-सीओई) के प्रस्ताव का मूल्यांकन किया। अपेक्स कमेटी ने शिक्षा क्षेत्र के लिए एआई-सीओई की स्थापना हेतु आयोजक (होस्ट) संस्थान की सिफारिश की है।
34.	47	**चिकित्सा शिक्षा का विस्तार** हमारी सरकार ने दस वर्षों में स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में 130 प्रतिशत की वृद्धि के साथ लगभग 1.1 लाख सीटें बढ़ाई हैं। अगले वर्ष, चिकित्सा कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएंगी,	**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (डीओएचएफडब्ल्यू)** मंत्रिमंडल ने दिनांक 24.09.2025 को राज्य सरकार/ केंद्र सरकार के चिकित्सा कॉलेजों/ स्वतंत्र स्नातकोत्तर संस्थानों/ सरकारी अस्पतालों को सुदृढ़ और उन्नत बनाने के लिए स्नातक/ स्नातकोत्तर सीटों की सीएसएस को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है,

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		जिसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 75,000 सीटें बढ़ाना है।	जिससे 5,000 स्नातकोत्तर सीटें बढ़ेंगी। साथ ही, मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों को उन्नत बनाने के लिए सीएसएस को बढ़ाने की मंजूरी दी गई है, जिससे 5,023 एमबीबीएस सीटें बढ़ेंगी और प्रति सीट लागत सीमा बढ़ाकर ₹1.50 करोड़ कर दी गई है।
35.	48	**सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर** हमारी सरकार अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी। वर्ष 2025-26 में 200 सेंटर स्थापित किए जाएंगे।	**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (डीओएचएफडब्ल्यू)** जिला स्तर पर कैंसर के मामलों के आधार पर विश्लेषण पूरा कर लिया गया है। डे केयर कैंसर सेंटरों (डीसीसीसी) के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण योजना (एनएचएम पीआईपी) में दो सौ (200) डीसीसीसी को मंजूरी दी गई है। अनुमोदित दिशानिर्देश राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों को भेज दिए गए हैं। 94 डीसीसीसी के लिए मानव संसाधन की पहचान कर ली गई है और उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इनमें से 70 केंद्रों में प्रशिक्षण पूरा हो चुका है।
36.	49	**शहरी आजीविका को समर्थ बनाना** हमारी सरकार शहरी गरीबों और कमजोर समूहों को सहायता प्रदान करने को प्राथमिकता दे रही है। शहरी कामगारों के सामाजिक-आर्थिक-उत्थान के लिए एक योजना लागू की जाएगी ताकि उनकी आय में वृद्धि हो, उन्हें स्थायी आजीविका मिले और उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके।	**आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए)** शहरी गरीबी उन्मूलन पर नया मिशन दीनदयाल जन आजीविका (शहरी)- डीजेएवाई(एस): व्यय विभाग (डीओई) द्वारा दिनांक 11.8.2025 को ईएफसी नोट को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल नोट का मसौदा तैयार किया जा रहा है।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
37.	50	**पीएम स्वनिधि** पीएम स्वनिधि योजना से 68 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर लाभान्वित हुए हैं, जिससे उन्हें अनौपचारिक क्षेत्र के उच्च ब्याज वाले ऋणों से राहत मिली है। इस सफलता को आधार बनाकर, योजना को बैंकों से और अधिक ऋण, ₹30,000 की सीमा वाले यूपीआई-लिंक्ड क्रेडिट कार्ड और क्षमता निर्माण सहायता के साथ संशोधित किया जाएगा।	**आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए)** **वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस)** केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के पुनर्गठन और ऋण अवधि को दिनांक 31 दिसंबर, 2024 से आगे बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। ऋण अवधि को कुल ₹7,332 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। परिव्यय के साथ अब 31 मार्च, 2030 तक बढ़ा दिया गया है, पुनर्गठित योजना का उद्देश्य 50 लाख नए लाभार्थियों सहित 1.15 करोड़ लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना है। पुनर्गठित योजना में पहली और दूसरी किश्त की राशि क्रमशः ₹10,000 से बढ़ाकर ₹15,000 और ₹20,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दी गई है, जबकि तीसरी किश्त की राशि में कोई परिवर्तन न करते हुए ₹50,000 रखा गया है। इसके अलावा, स्ट्रीट वेंडर्स की किसी भी आपातकालीन व्यावसायिक और व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ₹30,000 तक की क्रेडिट सीमा वाला यूपीआई-लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड भी शुरू किया गया है।
38.	51	**ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कामगारों के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना** ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले गिग (जीआईजी) वर्कर्स आधुनिक सेवा अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण गति प्रदान करते हैं। उनके योगदान को देखते हुए, हमारी सरकार उनके लिए पहचान-पत्र और ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की व्यवस्था करेगी। उन्हें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के	**श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (एमओएलई)** आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के लाभों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कामगारों तक पहुंचाने की योजना को वित्त संबंधी स्थायी समिति द्वारा दिनांक 18.03.2025 को मंजूरी दी गई। 12 प्रमुख एग्रीगेटर, जैसे- ज़ोमैटो, ब्लिंकइट, अंकल डिलीवरी, अर्बन कंपनी, उबर, अमेज़न, ओला, स्विग्गी, ईकॉम एक्सप्रेस, रैपिडो, ज़ेप्टो और पोर्टर, जिनके साथ लाखों प्लेटफॉर्म कामगार पंजीकृत हैं को इस योजना में शामिल किया गया है। पात्र लाभार्थियों

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		तहत स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जाएँगी। इस कदम से लगभग 1 करोड़ गिग (जीआईजी) वर्कर्स को लाभ मिलने की संभावना है।	को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए, ई-श्रम पोर्टल पर प्लेटफॉर्म कामगारों के पंजीकरण हेतु तीन राष्ट्रव्यापी विशेष अभियान दिनांक 7-17 अप्रैल, 2025, दिनांक 21-30 मई, 2025 और दिनांक 25 अगस्त-15 सितंबर के दौरान आयोजित किए गए। **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू)** राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) उक्त योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए एमओएलई को पूर्ण सहयोग प्रदान कर रहा है।
39.	52	**अवसंरचना में सार्वजनिक-निजी भागीदारी** अवसंरचना कार्य से जुड़े प्रत्येक मंत्रालय तीन वर्ष की अवधि के लिए ऐसी परियोजनाओं की सूची तैयार करेगा जिन्हें पीपीपी मोड में कार्यान्वित किया जा सकता है। राज्यों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और वे पीपीपी प्रस्ताव तैयार करने के लिए आईआईपीडीएफ (भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि) से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।	**आर्थिक कार्य विभाग (डीईए)** **दूरसंचार विभाग (डीओटी)** **खान मंत्रालय (एमओएम)** **उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी)** केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों दोनों से लगभग ₹19 लाख करोड़ की लागत वाली कुल 992 सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं। इन 992 पीपीपी परियोजनाओं में से लगभग ₹15 लाख करोड़ की 399 पीपीपी परियोजनाओं की जांच की जा चुकी है और वे उपयुक्त पाई गई हैं। शेष लगभग ₹4 लाख करोड़ की 593 पीपीपी परियोजनाओं पर विचार-विमर्श चल रहा हैं। **सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच)** एमओआरटीएच ने 13,408 किलोमीटर लंबाई की विचाराधीन 86 परियोजनाओं की सूची प्रस्तुत की है, जिनकी कुल लागत लगभग ₹8.33 लाख करोड़ है। मंत्रालय ने ₹6,632 करोड़ की लागत वाली 177

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			किलोमीटर लंबाई की 6 पीपीपी परियोजनाओं का आवंटन किया है। इसके अतिरिक्त, ₹25,505 करोड़ की लागत वाली 857 किलोमीटर लंबाई की 19 परियोजनाओं को पीपीपी मोड (बीओटी/ एचएम) के तहत स्वीकृत किया गया है। साथ ही, ₹57,557 करोड़ की लागत वाली 1,248 किलोमीटर लंबाई की 14 परियोजनाओं का मूल्यांकन पीपीपीएसी/ पीआईबी द्वारा किया गया है। **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू)** अगले 3 वर्षों (वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2027-2028) के लिए लगभग ₹98,848 करोड़ मूल्य की विचाराधीन 35 परियोजनाओं की सूची तैयार की गई है। **विद्युत मंत्रालय (एमओपी)** आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) ने विद्युत मंत्रालय (एमओपी) से पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) पद्धति के तहत विकास के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं की सूची मांगी है। इससे पहले, वित्तीय वर्ष 2025-26, 2026-27 और 2027-28 में बोली के लिए प्रस्तावित आईएसटीएस (इंस्टेंट प्रॉडक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम) परियोजनाओं की सूची आर्थिक कार्य विभाग के साथ साझा की गई थी। इसके बाद, दिनांक 19.09.2025 को आर्थिक कार्य विभाग में हुई बैठक और इस संबंध में जारी स्पष्टीकरण के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए माह-वार और वित्तीय वर्ष 2026-27 और 2027-28 के लिए तिमाही-वार बोली के लिए प्रस्तावित पीपीपी परियोजनाओं की संशोधित सूची तैयार की गई है।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) उद्योग-जगत द्वारा प्रस्तावित ब्राउन/ ग्रीन फील्ड साइटों पर (उनके स्वयं के उपयोग के लिए विद्युत की खपत हेतु) भारतीय प्रयोक्ताओं से 220 मेगावाट के दाबयुक्त भारी जल रिएक्टरों (पीएचडब्ल्यूआर) और भारत लघु रिएक्टरों (बीएसआर) की स्थापना के लिए प्रस्ताव का अनुरोध न्युक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) द्वारा दिनांक 31.12.2024 को प्रकाशित किया गया था। कई औद्योगिक घरानों/ उद्योगों ने बीएसआर स्थापित करने में रुचि दिखाई है ताकि वे अपनी विद्युत खपत को कार्बनमुक्त करने के अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। अतः, निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 31.03.2026 तक बढ़ा दी गई है। अब तक, प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) के प्रत्युत्तर में 687 पूर्व-प्रस्ताव स्पष्टीकरण जारी किए जा चुके हैं। **नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए)** वर्ष 2025-26 के लिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के ग्यारह ब्राउनफील्ड हवाई अड्डों की पहचान की गई है, जिन्हें अगले दो वर्षों के लिए पीपीपी पाइपलाइन के अंतर्गत लाया जाएगा जिन्हें 11 एएआई हवाई अड्डों के पीपीपी के पूर्ण होने के बाद इन परियोजनाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा। **रेल मंत्रालय (एमओआर)** रेल मंत्रालय (एमओआर) ने कार्यनीतिक साझेदारों और अन्य निवेशकों को शामिल करके रेल कनेक्टिविटी के विकास में निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु सहभागिता नीति, 2012 तैयार की है। इस नीति में पांच सार्वजनिक-निजी भागीदारी

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			(पीपीपी) मॉडल परिभाषित किए गए हैं इसमें नामत: गैर-सरकारी रेलवे (एनजीआर), संयुक्त उद्यम (जीवी), ग्राहक-वित्तपोषित, निर्माण-संचालन-हस्तांतरण (बीओटी) और बीओटी-वार्षिकी मॉडल शामिल हैं। राज्य सरकारें/ स्थानीय निकाय/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी रेल मंत्रालय की सहभागिता नीति के तहत नई लाइनों/ गेज परिवर्तन परियोजनाओं के विकास में हितधारक के रूप में भाग ले सकते हैं। अब तक, कुल ₹16,636 करोड़ की लागत वाली 18 परियोजनाएं पीपीपी मॉडल के माध्यम से पूरी की जा चुकी हैं। कोयला कनेक्टिविटी और बंदरगाह कनेक्टिविटी की परियोजनाओं सहित कुल ₹16,334 करोड़ की लागत वाली सात परियोजनाएं कार्यान्वयन के अध्यधीन हैं। **आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए)** प्रस्तावित अर्बन चैलेंज फंड (यूसीएफ) योजना के तहत, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के अंतर्गत परियोजनाओं का एक समूह तैयार किया जा रहा है। यूसीएफ योजना पर ईएफसी की बैठक दिनांक 10.9.2025 को आयोजित की गई थी। मंत्रिमंडल नोट का मसौदा (डीसीएन) तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा, अटल कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत) के दिशानिर्देशों में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को अपनी 10% परियोजनाओं को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से शुरू करने का प्रावधान है। अब तक, अमृत (एएमआरयूटी) 2.0 के तहत दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में ₹6,451.18 करोड़ मूल्य की 18 पीपीपी परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			नीति आयोग आर्थिक कार्य विभाग और नीति आयोग ने संयुक्त रूप से अप्रैल 2025 में दक्षिणी राज्यों के लिए पीपीपी मॉडल के माध्यम से अवसंरचना विकास को बढ़ावा देने हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में पीपीपी प्रस्ताव तैयार करने और इसके कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए भारत अवसंरचना परियोजना विकास कोष (आईआईपीडीएफ) और व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना जैसी केंद्र सरकार की सहायता योजनाओं का लाभ उठाने पर जोर दिया गया। **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू)** स्वास्थ्य-अवसंरचना क्षेत्र में ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड दोनों परियोजनाओं के लिए 3 वर्षीय पाइपलाइन परियोजनाओं की सूची तैयार की गई है। **उच्च शिक्षा विभाग (डीएचई)** विभाग ने पहली बार व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) के तहत पीपीपी मोड में उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई) में परियोजना विकास की पहल की है। आईआईटी मद्रास, आईआईएम उदयपुर और आईआईटी नागपुर की ₹585 करोड़ की तीन परियोजनाओं को पीपीपीएसी द्वारा अनुमोदित किया गया है। इससे प्राप्त अनुभव विभाग को भविष्य की परियोजनाओं की योजना बनाने में सहायक होगा। व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण के तहत पीपीपी परियोजनाओं को

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			समझाने के लिए अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ एक कार्यशाला आयोजित करने की योजना बनाई गई है। **जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनर्जीवन विभाग (डब्ल्यूआर, आरडी, जीआर)** एनएमसीजी ने पीपीपी मोड में कार्यान्वित की जा सकने वाली परियोजनाओं की एक संभावित तीन वर्षीय योजना तैयार की है।
40.	53	**राज्यों को अवसंरचना हेतु सहायता** राज्यों को पूंजीगत व्यय और सुधारों के लिए प्रोत्साहन हेतु 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने हेतु ₹1.5 लाख करोड़ का आवंटन प्रस्तावित है।	**व्यय विभाग (डीओई)** **आर्थिक कार्य विभाग (डीईए)** राज्यों को पूंजी निवेश हेतु विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) वर्ष 2025-26 के लिए दिशानिर्देश व्यय विभाग द्वारा दिनांक 07.04.2025 और दिनांक 22.05.2025 को जारी किए गए हैं। वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना के अंतर्गत राज्यों को ₹47,802 करोड़ की राशि जारी की गई है।
41.	54	**आस्ति मुद्रीकरण योजना 2025-30** वर्ष 2021 में घोषित पहली आस्ति मुद्रीकरण योजना की सफलता को आगे बढ़ाते हुए, वर्ष 2025-30 के लिए दूसरी योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत नई परियोजनाओं में ₹10 लाख करोड़ की पूंजी का पुनर्निवेश किया जाएगा। योजना को सहायता प्रदान करने के लिए विनियामक और राजकोषीय उपायों को और बेहतर बनाया जाएगा।	**नीति आयोग** नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2025-26 से 2029-30 के दौरान एनएमपी 2.0 के तहत मुद्रीकरण के लिए संभावित आस्तियों की पहचान करने हेतु 12 केंद्रीय मंत्रालयों के साथ विस्तृत परामर्श किया है। मुद्रीकरण से प्राप्त आय के लेखांकन के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है और उसे अपनाया गया है। इस योजना का उद्देश्य भारत की संचित निधि, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र के निवेशों में नकदी प्रवाह की पारदर्शिता प्रदान करना है। मुद्रीकरण योजना (एनएमपी **2.0)** को आस्ति मुद्रीकरण संबंधी मुख्य समूह (सीजीएएम) के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
42.	55	**जल जीवन मिशन** वर्ष 2019 से, अब तक भारत की ग्रामीण आबादी के 80 प्रतिशत अर्थात 15 करोड़ परिवारों को पेयजल हेतु नल से जल का कनेक्शन उपलब्ध कराया जा चुका है। 100 प्रतिशत कवरेज प्राप्त करने के लिए, मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि इस मिशन को वर्ष 2028 तक बढ़ाया जा रहा है और इसके लिए कुल व्यय में भी वृद्धि की गई है।	**पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीओडीडब्ल्यूएस)** राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से जल जीवन मिशन (जेजेएम) कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से जल पहुंचाना है। मिशन की शुरुआत से अब तक लगभग 12.49 करोड़ परिवारों को नल से जल मिल चुका है और दिनांक 2 नवंबर 2025 तक लगभग 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.72 करोड़ (81.22%) से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से जल मिल रहा है। विभाग के पास जेजेएम को अतिरिक्त परिव्यय के साथ जारी रखने का प्रस्ताव विचाराधीन है। मंत्रिमंडल की स्वीकृति के पश्चात, मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाया जाएगा।
43.	56	इस मिशन का मुख्य उद्देश्य "जन भागीदारी" योजना के माध्यम से ग्रामीण पाइपलाइन जल आपूर्ति योजनाओं के अवसरंचना की गुणवत्ता और प्रचालन एवं रखरखाव पर ध्यान केंद्रित करना होगा। सतत विकास और नागरिक-केंद्रित जल सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/ संघ राज्य-क्षेत्रों के साथ अलग-अलग समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।	**पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीओडीडब्ल्यूएस)** ग्रामीण पाइपलाइन जल आपूर्ति योजनाओं के सतत एवं दीर्घकालिक प्रचालन एवं रखरखाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए, नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण और "जन भागीदारी" योजना को कुल परिव्यय में वृद्धि के माध्यम से पेयजल एवं स्वच्छता प्रबंधन (जेजेएम), जारी रखने का प्रस्ताव है, जो कि अभी विभाग के पास सक्रिय विचाराधीन है। राज्य स्तरीय कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से, ग्रामीण जल आपूर्ति क्षेत्र को 'विभाग-आधारित दृष्टिकोण' से नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ 'सेवा वितरण दृष्टिकोण' में परिवर्तित करने के उद्देश्य से संरचनात्मक सुधारों के लिए प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया गया है।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
44.	57	**शहरी क्षेत्र सुधार** जुलाई के बजट प्रस्तावों के आधार पर, शासन, नगरपालिका सेवाओं, शहरी भूमि और योजना से संबंधित शहरी क्षेत्र के सुधारों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।	**व्यय विभाग (डीओई)** **आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए)** वर्ष 2025-26 के लिए पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) का भाग-X शहरी क्षेत्र सुधारों से संबंधित है। इस संबंध में व्यय विभाग द्वारा दिनांक 22.05.2025 को दिशानिर्देश जारी किए गए थे। योजना के इस भाग के दो उप-भाग हैं। भाग-क के अंतर्गत, शासन, वित्त एवं शहरी भूमि एवं योजना सुधारों से संबंधित सुधारों हेतु ₹13,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। भाग-ख के अंतर्गत, कारोबारी सुगमता (ईओडीबी) के लिए ₹5,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। यह राशि आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की अनुशंसाओं पर राज्यों को पूंजी निवेश प्रोत्साहन के रूप में जारी की जाएगी। एमओएचयूए सुधारों के कार्यान्वयन में राज्यों का मार्गदर्शन कर रहा है।
45.	58	**अर्बन चैलंज फंड** सरकार द्वारा जुलाई के बजट में घोषित 'शहरों को विकास केंद्र', 'शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास' और 'जल एवं स्वच्छता' संबंधी प्रस्तावों को लागू करने के लिए ₹1 लाख करोड़ का अर्बन चैलंज फंड स्थापित करेगी।	**आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए)** **अमृत(यू) 2.0** प्रस्तावित अर्बन चैलंज फंड (यूएफसी) योजना के तहत, पीपीपी के अंतर्गत परियोजनाओं का एक समूह तैयार किया जा रहा है। यूएफसी योजना के प्रारंभ होने के बाद चयनित परियोजनाओं को उच्चतम प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा। मंत्रिमंडल नोट का मसौदा अनुमोदन के लिए विचाराधीन है।
46.	59	यह कोष ऋण योग्य परियोजनाओं की लागत का 25 प्रतिशत तक वित्तपोषण करेगा, बशर्ते कि लागत का कम से कम 50 प्रतिशत बांड, बैंक ऋण और पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) के माध्यम से वित्तपोषित किया जाए। वर्ष 2025-26 के लिए ₹10,000 करोड़ का आवंटन प्रस्तावित है।	

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
47.	60	**विद्युत क्षेत्र संबंधी सुधार** हम राज्यों द्वारा विद्युत वितरण सुधारों और अंतरराज्यीय पारेषण क्षमता में वृद्धि को प्रोत्साहित करेंगे। इससे विद्युत कंपनियों की वित्तीय स्थिति और क्षमता में सुधार होगा। इन सुधारों के आधार पर राज्यों को सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.5 प्रतिशत तक अतिरिक्त ऋण लेने की अनुमति प्रदान की जाएगी।	**विद्युत मंत्रालय (एमओपी)** **व्यय विभाग (डीओई)** वर्ष 2025-26 के लिए विद्युत क्षेत्र में निष्पादन से जुड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.50% तक के अतिरिक्त उधार के लिए व्यय विभाग (डीओई) द्वारा सभी राज्य सरकारों को दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
48.	61	**विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन** ऊर्जा परिवर्तन के हमारे प्रयासों के लिए वर्ष 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का विकास अपेक्षित है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निजी क्षेत्र के साथ सक्रिय भागेदारी हेतु परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम में संशोधन किए जाएंगे।	**नीति आयोग** परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025 का मसौदा परमाणु ऊर्जा विभाग, नीति आयोग, विदेश मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय और विधि एवं न्याय मंत्रालय के संयुक्त प्रयासों से तैयार किया गया है। यह विधेयक का मसौदा परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम 2010 को व्यापक विधेयक में समेकित करता है। यह नागरिक परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी के लिए एक फ्रेमवर्क प्रस्तुत करता है। विधेयक का मसौदा अंतर-मंत्रालयी परामर्श के अध्यधीन है। **परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई)** परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावॉट तक बढ़ाने के लिए रोडमैप तैयार किया गया है और विभिन्न हितधारकों के साथ इस पर चर्चा चल रही है। निजी क्षेत्र को अधिक सक्षम बनाने के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम में संशोधन के संबंध में, मसौदा संशोधनों को अंतिम रूप देने के लिए अंतर-मंत्रालयी परामर्श जारी हैं।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			विद्युत मंत्रालय (एमओपी) वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रोडमैप तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया गया है। समिति ने रोडमैप तैयार कर लिया है, जिसे सीईए द्वारा प्रकाशित भी किया गया है। **भारी उद्योग मंत्रालय (एमओएचआई)** भेल (बीएचईएल) महत्वपूर्ण विद्युत उपकरण (टर्बाइन-जनरेटर आइलैंड) की आपूर्ति में अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठाकर भारत के परमाणु ऊर्जा विस्तार में योगदान दे रहा है। कंपनी प्रौद्योगिकी संवर्धन और स्थानीयकरण कार्यनीतियों के संबंध में प्रमुख हितधारकों के साथ चर्चा कर रही है। परमाणु श्रेणी के घटकों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रारंभिक कार्य प्रगति पर है। **आर्थिक कार्य विभाग (डीईए)** 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का विकास और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी। 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा के विकास के लिए रोडमैप तैयार करने हेतु विद्युत मंत्रालय (एमओपी) और अन्य हितधारकों के समन्वय से परामर्श बैठकें आयोजित की गईं। परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावाट तक बढ़ाने के लिए रोडमैप तैयार कर लिया गया है और विभिन्न हितधारकों के साथ इस पर चर्चा चल रही है। परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम में संशोधन। निजी क्षेत्र को अधिक सक्षम बनाने हेतु परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम में संशोधन के संबंध में, मसौदा संशोधनों को अंतिम रूप देने के लिए अंतर-मंत्रालयी परामर्श जारी हैं।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
49.	62	लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों (एसएमआर) के अनुसंधान एवं विकास के लिए ₹20,000 करोड़ के परिव्यय से परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किया जाएगा। कम से कम 5 स्वदेशी रूप से विकसित एसएमआर को वर्ष 2033 तक परिचालन में लाया जाएगा।	**नीति आयोग** **ऊर्जा मंत्रालय (एमओपी)** परमाणु ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए परमाणु ऊर्जा मिशन विकसित किया जा रहा है, जिसमें विनिर्माण, ऊर्जा सृजन, मानव संसाधन, विनियमन, वित्तपोषण आदि शामिल हैं। **भारी उद्योग मंत्रालय (एमओएचआई)** भारत के परमाणु रोडमैप को सहायता प्रदान करने के लिए भेल लघु मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर) क्षेत्र में अवसर तलाशने के लिए सक्रिय रूप से मूल्यांकन कर रहा है। लघु पैमाने के स्टीम टर्बाइन और जनरेटर में बीएचईएल के पूर्व निष्पादन के आधार पर, उपकरणों के स्वदेशी निर्माण के लिए व्यवहार्यता अध्ययन शुरू किए जा रहे हैं। **आर्थिक कार्य विभाग (डीईए)** परमाणु ऊर्जा मिशन के लिए आवंटित वित्तीय राशि से भारत लघु मॉड्यूलर रिएक्टर और अन्य भारतीय एसएमआर की स्थापना को सुगम बनाते हुए अनुसंधान एवं विकास की लागत को कवर किए जाने की संभावना है। एसएमआर की निकट भविष्य में तैनाती के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्यविधियों और प्रदर्शन संयंत्रों की स्थापना एवं प्रचालन करने की आवश्यकता है। इस निधि का उपयोग विभिन्न लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों (एसएमआर) के अनुसंधान एवं विकास में किया जाएगा। 2. निकट भविष्य में नियोजित प्रमुख कार्यों में

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			निम्नलिखित शामिल हैं - (i) महत्वपूर्ण पूर्व-परियोजना कार्यविधियों का प्रचालन, जिनमें स्थल-विशिष्ट अध्ययन, व्यवहार्यता अध्ययन, प्रारंभिक इंजीनियरिंग परामर्श आदि शामिल हैं। (ii) अतिरिक्त स्वदेशी परमाणु वेंडर्स का विकास। (iii) परीक्षण सुविधाओं की स्थापना। (iv) प्रमुख प्रोटोटाइप परमाणु उपकरणों का निर्माण और उनका प्रमाणीकरण आदि। (v) विकसित हो रहे विनियामक फ्रेमवर्क को सुगम बनाने के लिए सहायक अध्ययन। (vi) परमाणु ईंधन और अन्य परमाणु सामग्रियों के लिए डीएई के अंतर्गत विनिर्माण अवसंरचना का संवर्धन/ उन्नयन। (vii) अन्य भागीदारों के साथ अन्यत्र संभावित सहयोगात्मक कार्य/ सह-विकास। अभी तक की प्रगति इस प्रकार है - इस मिशन के अंतर्गत परिकल्पित 5 रिएक्टरों के लिए एईसी की सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। विकास/ पूर्व-परियोजना कार्य: वित्त वर्ष 2025 से वित्त वर्ष 2027 (36 माह) निर्माण प्रारंभ: वित्त वर्ष 2027 (60-72 माह)
50.	63	**जहाज निर्माण** लागत संबंधी कमियों को दूर करने के लिए जहाज निर्माण वित्तीय सहायता नीति में संशोधन किया जाएगा। इसमें सर्कुलर अर्थव्यवस्था के संवर्धन हेतु भारतीय याड्र्स में शिपब्रेकिंग के लिए क्रेडिट नोट भी शामिल होंगे।	**पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू)** केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 24.09.2025 को हुई इसकी बैठक में भारत में जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय की जहाज निर्माण वित्तीय सहायता योजना (एसबीएफएएस) और राष्ट्रीय जहाज निर्माण मिशन को मंजूरी दी। एसबीएफएएस भारतीय शिपयाड्र्स

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे उन्हें विदेशी शिपयार्ड्स की तुलना में परिचालन लागत संबंधी नुकसानों को दूर करने में सहायता मिलती है, जिन्हें सरकार का निरंतर समर्थन प्राप्त होता है। इसमें शिपब्रेकिंग के लिए क्रेडिट नोट का भी प्रावधान है, जो भारत में मौजूद बड़े शिपब्रेकिंग/ पुनर्चक्रण इकोसिस्टम का लाभ उठाकर भारतीय शिपयार्ड्स को बढ़ावा देने के लिए सर्कुलर अर्थव्यवस्था बनाने में सहायक होगा।
51.	64	निर्धारित आकार से बड़े जहाजों को अवसंरचना सामंजस्यपूर्ण मास्टर सूची (एचएमएल) में शामिल किया जाएगा।	आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) परिवहन और रसद श्रेणी में एक नया मद जोड़कर बड़े जहाजों को अवसंरचना उप-क्षेत्रों की सामंजस्यपूर्ण मास्टर सूची में शामिल किया गया है। **पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू)** आर्थिक कार्य विभाग ने दिनांक 19.09.2025 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से विनिर्दिष्ट आकार से बड़े जहाजों को अवसंरचना सामंजस्यपूर्ण मास्टर सूची (एचएमएल) में शामिल किया है। यह मान्यता पोत परिवहन उद्योग को प्रतिस्पर्धी दरों पर दीर्घकालिक ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, जिससे पूंजी संबंधी बाधाएं कम होती हैं, वित्तपोषण लागत घटती है और भारतीय फ्लैग के तहत जहाज अधिग्रहण और स्वामित्व में निवेश को बढ़ावा मिलता है।
52.	65	जहाजों की रेंज, श्रेणियों और क्षमता को बढ़ाने के लिए जहाज निर्माण क्लस्टरों को सुविधा प्रदान की जाएगी। इसमें पूरे इकोसिस्टम को विकसित	**पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू)** केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में जहाज निर्माण के लिए क्षमता और क्षमता विकास और ऋण जोखिम

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		करने के लिए अतिरिक्त अवसंरचना सुविधाएं, कौशल और प्रौद्योगिकी शामिल होगी।	को शामिल करने के लिए जहाज निर्माण विकास योजना (एसबीडीएस) को मंजूरी दी। यह योजना नवाचार, प्रौद्योगिकी उन्नयन और कौशल विकास को बढ़ावा देते हुए ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड विकास दोनों के माध्यम से घरेलू जहाज निर्माण क्षमता का विस्तार करने पर केंद्रित है। यह जहाज निर्माण क्षेत्र को जोखिम कवर भी प्रदान करता है।
53.	66	**समुद्री विकास कोष** समुद्री उद्योग के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण के लिए, ₹25,000 करोड़ के कोष के साथ एक समुद्री विकास कोष स्थापित किया जाएगा। यह वितरित समर्थन और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए होगा। इसमें सरकार का 49 प्रतिशत तक योगदान होगा और शेष राशि पत्तनों और निजी क्षेत्र से जुटाई जाएगी।	**पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय** केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समुद्री विकास कोष (एमडीएफ) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। एमडीएफ के तहत शासी परिषद का गठन किया गया है।
54.	67	**उड़ान - क्षेत्रीय संपर्क योजना** उड़ान ने 1.5 करोड़ मध्यम वर्ग के लोगों को तेज यात्रा की अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम बनाया है। इस योजना ने 88 हवाई अड्डों को जोड़ा है और 619 मार्गों का संचालन किया है। उस सफलता से प्रेरित होकर, अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने और 4 करोड़ यात्रियों को ले जाने के लिए एक संशोधित उड़ान योजना शुरू की जाएगी। यह योजना पहाड़ी, आकांक्षी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के जिलों में हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों को भी सहायता प्रदान करेगी।	**नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए)** अद्यतन अंतिम ईएफसी नोट को ईएफसी बैठक बुलाने के अनुरोध के साथ व्यय विभाग के साथ साझा किया गया है।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
55.	68	**बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा** बिहार की भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा प्रदान की जाएगी। ये पटना हवाई अड्डे की क्षमता के विस्तार और बिहटा में एक ब्राउनफील्ड हवाई अड्डे के अतिरिक्त होंगे।	**नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए)** भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा किए गए पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन और उचित निर्णय के लिए बिहार सरकार (जीओबी) को भेजे गए हैं • सोनपुर (सारण जिला) • राजगीर (नालंदा जिला) • सुल्तानगंज (भागलपुर जिला) बिहार में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के विकास के लिए स्थल स्वीकृति की मांग करने वाले बिहार सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद, प्रस्तावों को ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों पर संचालन समिति में इसकी सिफारिश और नागर विमानन मंत्रालय द्वारा बाद में अनुमोदन के लिए रखा जाएगा।
56.	69	**मिथिलांचल में पश्चिमी कोशी नहर परियोजना** बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करने वाले बड़ी संख्या में किसानों को लाभान्वित करने वाली पश्चिमी कोशी नहर ईआरएम परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।	**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)** जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की सलाहकार समिति ने दिनांक 08.07.2025 को आयोजित अपनी **159**वीं बैठक में परियोजना को स्वीकार कर लिया। राज्य सरकार से प्राप्त निवेश स्वीकृति प्रस्ताव की केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा जांच की गई थी। सीडब्ल्यूसी ने दिनांक 25.09.2025 को बिहार सरकार को अपनी टिप्पणियों से अवगत करा दिया है।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
57.	70	**खनन क्षेत्र में सुधार** गौण खनिजों सहित खनन क्षेत्र के सुधारों को सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों द्वारा साझा करने और राज्य खनन सूचकांक की स्थापना के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा।	**खान मंत्रालय (एमओएम)** राज्यों के बीच सहकर्मी शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए खनन क्षेत्र में राज्यों की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों पर अध्ययन रिपोर्ट जारी की गई। राज्य खनन तैयारी सूचकांक और रैंकिंग दिनांक 14.10.2025 को जारी की गई।
58.	71	महत्वपूर्ण खनिजों की टेलिंग से पुनर्प्राप्ति के लिए एक नीति तैयार की जाएगी।	**खान मंत्रालय (एमओएम)** खदानों के ओवरबर्डन, डंप और टेलिंग से महत्वपूर्ण खनिजों की वसूली के लिए नीति को मंजूरी दी गई।
59.	72	**एसडब्ल्यूएएमआईएच कोष** 2 किफायती और मध्यम आय आवास के लिए विशेष खिड़की (एसडब्ल्यू-एएमआईएच) के तहत संकटग्रस्त आवास परियोजनाओं में पचास हजार आवासीय इकाइयों का निर्माण पूरा कर लिया गया है, और घर खरीदारों को चाबियां सौंप दी गई हैं। वर्ष 2025 में और चालीस हजार इकाइयां पूरी हो जाएंगी, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों को मदद मिलेगी जो अपार्टमेंट के लिए लिए गए ऋण पर ईएमआई का भुगतान कर रहे थे, जबकि अपने वर्तमान आवासों के लिए किराए का भुगतान भी कर रहे थे।	**आर्थिक कार्य विभाग (डीईए)** किफायती और मध्यम आय आवास के लिए विशेष खिड़की (एसडब्ल्यूएएमआईएच) निवेश कोष I के तहत, दिनांक 15.09.2025 तक संकटग्रस्त आवास परियोजनाओं में 58,596 आवासीय इकाइयां घर खरीदारों को वितरित की गई हैं और कुल 94,208 घर निर्माणाधीन हैं। अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एजेएनआईएफएम) द्वारा स्वामी-1 की समीक्षा की गई है। शहरी और आवासन कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 05.03.2025 को आयोजित बजट के बाद वेबिनार में स्वामी फंड-2 पर चर्चा की गई। 29.09.2025 को डीएफएस, एलआईसी, एसबीआई और अन्य बैंकों के साथ स्वामी फंड II की स्थापना के लिए सुझावों पर विचार करने और एसडब्ल्यूएएमआईएच निवेश कोष I के वर्तमान दिशानिर्देशों पर अनुभव के बारे में भी एक बैठक आयोजित की गई थी।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
60.	73	इस सफलता के आधार पर, एसडब्ल्यूएएमआईएच निधि 2 को सरकार, बैंकों और निजी निवेशकों के योगदान के साथ एक मिश्रित वित्त सुविधा के रूप में स्थापित किया जाएगा। ₹15,000 करोड़ के इस फंड का लक्ष्य अन्य 1 लाख इकाइयों को तेजी से पूरा करना होगा।	
61.	74	**निजी क्षेत्र के लिए पीएम गति शक्ति डेटा** पीपीपी को आगे बढ़ाने और परियोजना नियोजन में निजी क्षेत्र की सहायता के लिए, पीएम गति शक्ति पोर्टल से प्रासंगिक डेटा और मानचित्रों तक पहुंच प्रदान की जाएगी।	**उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी)** सचिवों के 8वें अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस) के निर्देशों के अनुसार, पीएम गतिशक्ति के चयनित डेटासेट के आधार पर निजी संस्थाओं के साथ डेटा एनालिटिक्स रिपोर्ट साझा करने के लिए एक प्रश्न-आधारित तंत्र विकसित और लॉन्च किया गया है। इसे माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री द्वारा दिनांक 13.10.2025 को लॉन्च किया गया है। यह तंत्र सार्वजनिक/ निजी क्षेत्र को परियोजना के जलग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक-आर्थिक आस्तियों और अवसंरचना की योजना बनाने, विशिष्ट मानदंडों के आधार पर उपयुक्त स्थलों की पहचान करने और सड़कों और पाइपलाइनों जैसी रैखिक परियोजनाओं के लिए संरेखण की योजना बनाने की अनुमति देगा। उसी के लिए **URL ugi.pmgatishakti.gov.in** है।
62.	75	**रोजगार आधारित विकास के लिए पर्यटन** देश के शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों के साथ साझेदारी में एक चुनौती मोड के माध्यम से विकसित	**पर्यटन मंत्रालय (एमओटी)** बजट घोषणा के कार्यान्वयन के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा दिशानिर्देश तैयार किए जा रहे हैं। इसके बाद, 50 गंतव्यों की अंतिम सूची में शामिल करने के लिए प्रत्येक राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र से

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		किया जाएगा। प्रमुख अवसंरचना के निर्माण के लिए राज्यों को भूमि प्रदान करनी होगी। उन गंतव्यों के होटलों को अवसंरचना एचएमएल में शामिल किया जाएगा।	अधिकतम 3 गंतव्यों की पहचान करने के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मसौदा और मानदंड साझा किए जाएंगे। दिनांक 07.07.2025 को श्रीनगर में आयोजित पर्यटन सचिवों की बैठक में कम से कम 50 गंतव्यों को विकसित करने और होटलों को एचएमएल का दर्जा प्रदान करने और प्रभावी गंतव्य प्रबंधन के लिए निष्पादन से जुड़े प्रोत्साहन पर चर्चा की गई। इसके अलावा, पीएलआई और 50 गंतव्यों दोनों के लिए दिशा-निर्देशों का मसौदा तैयार किया गया है। दोनों पहलों पर उद्योग जगत की राय लेने के लिए दिनांक 10.09.2025 को नई दिल्ली में एक हितधारक परामर्श बैठक आयोजित की गई थी। प्रस्तावित योजना पर दिनांक 14-15.10.2025 को उदयपुर में आयोजित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक में इस संबंध में आगे चर्चा की गई। परामर्श और प्राप्त सूचना के आधार पर, आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए संशोधित मसौदा रूपरेखा/ योजना दिशानिर्देश तैयार किए जा रहे हैं। **आर्थिक कार्य विभाग (डीईए)** विभाग ने अवसंरचना की सामंजस्यपूर्ण मास्टर सूची में शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों में स्थित होटलों को शामिल करने के लिए पर्यटन मंत्रालय से प्रस्ताव मांगा था। इसके उत्तर में, पर्यटन मंत्रालय ने दिनांक 08.04.2025 के अपने कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से एक परिभाषा प्रस्तावित की। पर्यटन विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय में एक नई योजना तैयार की जा रही है।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
63.	76	रोजगार आधारित विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे: 1) आतिथ्य प्रबंधन संस्थानों सहित हमारे युवाओं के लिए गहन कौशल-विकास कार्यक्रमों का आयोजन; 2) होमस्टे के लिए मुद्रा ऋण प्रदान करना; 3) पर्यटन स्थलों के लिए यात्रा और कनेक्टिविटी में सरलता में सुधार; 4) पर्यटक सुविधाओं, स्वच्छता और विपणन प्रयासों सहित प्रभावी गंतव्य प्रबंधन के लिए राज्यों को प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन प्रदान करना; और 5) कुछ पर्यटक समूहों के लिए वीजा-शुल्क छूट के साथ-साथ सुव्यवस्थित ई-वीजा सुविधाओं की शुरुआत।	**पर्यटन मंत्रालय (एमओटी)** **व्यय विभाग (डीओई)** 1) आतिथ्य प्रबंधन संस्थानों सहित हमारे युवाओं के लिए गहन कौशल-विकास कार्यक्रमों का आयोजन करना गंतव्यों के साथ मैप किए गए आईएचएम, गंतव्य विशिष्ट रोजगार भूमिकाओं की पहचान, आईआईटीएफ और आईआईटीजी और पर्यटन हितधारक संघों के विवरण (नाम, संपर्क नंबर, आदि) एमएसडीई के साथ साझा किए गए हैं। पर्यटन मंत्रालय ने आरपीएल और एसटीसी कार्यक्रमों के तहत 57 गंतव्यों के लिए लक्ष्य जुटाने की पहचान करने के लिए पर्यटन संघों के साथ एमएसडीई के लिए एक बैठक की सुविधा प्रदान की। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा सीआईएचएम, एसआईएचएम, एफसीआई और अन्य पैनल में शामिल एजेंसियों के माध्यम से नियमित आधार पर अल्पावधि पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। एमएसडीई और एमओटी आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र में कौशल पाठ्यक्रमों के लिए समन्वय कर रहे हैं। क्षमता निर्माण के लिए पत्र विशिष्ट पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी का आयोजन किया गया। राज्यों को स्थान गंतव्य की कमी वाले क्षेत्रों में कौशल अंतर का विश्लेषण, मांग के कुल योग की पहचान करने और पर्यटन संसाधन विकास कार्यक्रम के लिए लक्ष्य जुटाने के प्रयासों के लिए एक पत्र जारी किया गया है। 2) होमस्टे के लिए मुद्रा ऋण प्रदान करना जन समर्थ पोर्टल में होमस्टे को मुद्रा ऋण के तहत एक श्रेणी के रूप में शामिल किया गया है। विश्व

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			पर्यटन दिवस, 2025 के अवसर पर दिनांक 27.09.2025 को होमस्टे के लिए जन समर्थ पोर्टल में मुद्रा ऋण चक्र की पूरी प्रक्रिया के लिए चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका वाली पुस्तिका लॉन्च की गई। 3) पर्यटन स्थलों के लिए यात्रा और कनेक्टिविटी में सुगमता में सुधार पर्यटन मंत्रालय नियमित रूप से नागर विमानन मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, रेल मंत्रालय और दूरसंचार मंत्रालय के साथ समन्वय करता है ताकि पर्यटन मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत परियोजनाओं सहित प्राथमिकता वाले गंतव्यों पर बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। इन प्राथमिकता वाले गंतव्यों पर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए, पर्यटन मंत्रालय द्वारा पीएम गति शक्ति पोर्टल के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को संशोधित किया गया है। 4) पर्यटक सुविधाओं, स्वच्छता और विपणन प्रयासों सहित प्रभावी गंतव्य प्रबंधन के लिए राज्यों को प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन प्रदान करना पीएलआई और **50** गंतव्यों दोनों के लिए मसौदा दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं। 5) कुछ पर्यटक समूहों के लिए वीजा-शुल्क छूट के साथ-साथ सुव्यवस्थित ई-वीजा सुविधाओं की शुरुआत

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			ई-पर्यटक वीजा सुविधाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित कार्यों को प्राथमिकता दी गई है: क. भुगतान के अन्य माध्यम प्रदान करना और ई-वीज़ा पोर्टल में क्रेडिट कार्ड भुगतान विकल्प बढ़ाना ख. चयनित विदेशी भाषा में ई-पर्यटक वीजा फॉर्म की उपलब्धता सुनिश्चित करना ग. नेपाल से भारत में प्रवेश करने वाले बौद्ध पर्यटकों की सुविधा के लिए ई-पर्यटक वीजा हेतु प्रवेश के पहले बिंदु के रूप में सोनौली को भूमि प्रवेश बिंदु के रूप में अनुमति देना। घ. ई-पर्यटक वीजा विंडो के लिए आवेदन करने की अवधि को 30 दिनों से बढ़ाकर 60 या 90 दिन करना ङ. विश्व मानकों के अनुरूप ई-वीजा फॉर्म के यूआई/ यूएक्स में सुधार करना। - उपरोक्त बिंदुओं के साथ निश्चित प्रस्ताव आवश्यक कार्रवाई के लिए दिनांक 07.08.2025 के पत्र द्वारा गृह मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है। **कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमओएसडीई)** एमएसडीई, एमओटी और अन्य संबंधित हितधारकों, यानी डीजीटी, एनएसडीसी, पर्यटन और आतिथ्य एसएससी, हेल्थकेयर एसएससी, ब्यूटी एंड वेलनेस एसएससी और हस्तशिल्प तथा कालीन एसएससी आदि से एक कार्य दल का गठन किया गया है। 167 गंतव्यों पर रोजगार की भूमिकाओं और संस्थानों की मानचित्रण पूरा हो चुका है और इसे

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			पर्यटन मंत्रालय के साथ साझा किया गया है। आईएचएम की भागीदारी के साथ चयनित गंतव्यों में सहयोग शुरू किया गया है। **वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस)** माननीय वित्त मंत्री ने होमस्टे को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और मुद्रा ऋण के तहत होमस्टे को एक श्रेणी के रूप में बताने वाला एक पत्र दिनांक 06.05.2025 को आवश्यक कार्रवाई के लिए बैंकों को भेजा गया है। **गृह मंत्रालय (एमएचए)** नवंबर, 2014 में 43 देशों के लिए शुरू किए गए इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकार के साथ इलेक्ट्रॉनिक वीजा (ई-वीजा) का विस्तार 32 नामित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और 5 प्रमुख बंदरगाहों के माध्यम से प्रवेश के लिए 172 देशों को कवर करने के लिए किया गया है। कुछ देशों को वीजा शुल्क माफी की सुविधा विदेश मंत्रालय (एमईए) के परामर्श से पारस्परिकता आधार पर प्रदान की जाती है। **विदेश मंत्रालय (एमईए)** वर्तमान में भारतीय ई-वीजा ई-टूरिस्ट वीजा, ई-बिजनेस वीजा, ई-मेडिकल वीजा, ई-मेडिकल अटेंडेंट वीजा, ई-आयुष वीजा, ई-आयुष अटेंडेंट वीजा, ई-कॉन्फ्रेंस वीजा और ई-इमरजेंसी एक्स-एमआईएससी के लिए वीजा उपलब्ध है। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) के परामर्श से हाल ही में उच्च अध्ययन के लिए भारत आने वाले विदेशी छात्रों के लिए ई-छात्र वीजा शुरू की है।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
64.	77	जुलाई के बजट में आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व के स्थानों पर बल देते हुए भगवान बुद्ध के जीवन और काल से संबंधित स्थलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।	**पर्यटन मंत्रालय (एमओटी)** बौद्ध पर्यटन स्थलों के साथ राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जिसमें परियोजना निर्माण और अवधारणा के लिए सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा किया जाएगा। 50 गंतव्यों की सूची में शामिल करने के लिए चुनिंदा बौद्ध स्थलों को प्राथमिकता दी जा रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ आयोजित कार्यशाला - 50 गंतव्यों की सूची में शामिल किए जाने वाले गंतव्यों का चयन किया गया। पर्यटन मंत्रालय ने अपने स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत मार्च 2025 में बोधगया में ₹165.44 करोड़ की बौद्ध ध्यान और अनुभव केंद्र के विकास परियोजना को मंजूरी दी है। इसके अलावा, भारत सरकार ने एसएएससीआई योजना के तहत नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश राज्य में ₹80.24 करोड़ की राशि के लिए श्रावस्ती में एकीकृत बौद्ध पर्यटन विकास परियोजना को भी मंजूरी दी **संस्कृति मंत्रालय (एमओसी)** आगंतुकों के अनुभव को बढ़ाने के लिए पुरातत्व स्थल संग्रहालय, नालंदा को उन्नत किया जा रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) अन्य स्थलों का रखरखाव कर रहा है जो भगवान बुद्ध के जीवन और काल से संबंधित हैं और जो एएसआई के संरक्षण में हैं। इन स्थलों पर उपलब्ध अवशेषों और संरचनाओं के संरक्षण और परिरक्षण के माध्यम से स्थलों पर नियमित रूप से ध्यान दिया जाता है।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
65.	78	**भारत में चिकित्सा पर्यटन और उपचार** निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में भारत में क्षमता निर्माण और आसान वीजा मानदंडों के साथ-साथ चिकित्सा पर्यटन और आरोग्य लाभ को बढ़ावा दिया जाएगा।	**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्लयू)** **पर्यटन मंत्रालय (एमओटी)** स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सेवा निर्यात संवर्धन परिषद (एसईपीसी), प्रमुख अस्पतालों और प्रमुख हितधारकों के साथ परामर्श दिनांक 03.07.2025 को आयोजित किया गया था। वाणिज्य विभाग के तहत सेवा निर्यात संवर्धन परिषद (एसईपीसी) ने चिकित्सा पर्यटन के लिए एक व्यापक पोर्टल **www.indiahealthcaretourism.com** लॉन्च किया है। पर्यटन मंत्रालय ने इस पोर्टल को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एकीकृत किया है। 18.08.2025 को हील इन इंडिया और हील बाय इंडिया पहल पर ध्यान देने के साथ चिकित्सा पर्यटन, मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को बढ़ावा देने के संबंध में अनुमान समिति की एक बैठक आयोजित की गई थी। मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हील इन इंडिया को बढ़ावा देने वाले प्रमुख प्रचार क्षेत्रों में से एक के रूप में पहचाना जा रहा है। वर्तमान में भारत सरकार उन विदेशियों को मेडिकल वीजा जारी करती है जो भारत में चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के लिए भारत आते हैं और विदेशी नागरिकों के लिए मेडिकल अटेंडेंट वीजा जारी करते हैं। **कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमओएसडीई)** स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय आवश्यक कौशल प्रदान करने के लिए एमएसडीई के साथ चिकित्सा पर्यटन और हील इन इंडिया में कौशल की आवश्यकता को साझा करेगा।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			गृह मंत्रालय (एमएचए) चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, गृह मंत्रालय ने निम्नलिखित के लिए ई-वीजा जारी करने का प्रावधान किया है: (क) ई-मेडिकल वीजा, (ख) ई-मेडिकल अटेंडेंट वीजा, (ग) ई-आयुष वीजा (भारतीय चिकित्सा प्रणाली), (घ) ई-आयुष अटेंडेंट वीजा। **विदेश मंत्रालय (एमईए)** भारत सरकार ने अपने चिकित्सा उपचार के लिए भारत आने वाले विदेशियों के लिए मेडिकल वीजा जारी करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ई-वीजा योजना शुरू की है। आवेदन प्राप्त होने से **72** घंटे की निर्धारित समय सीमा के अंदर गृह मंत्रालय/ बीओआई द्वारा अधिकतम संख्या में ई-वीजा संसाधित/ जारी किए जाते हैं।
66.	79	**अनुसंधान**, **विकास और नवाचार** जुलाई के बजट में घोषित निजी क्षेत्र संचालित अनुसंधान, विकास और नवाचार पहल को लागू करने के लिए, मैं अब ₹20,000 करोड़ आवंटित कर रही हूं।	**विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी)** **आर्थिक कार्य विभाग (डीईए)** केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 01.07.2025 को एक लाख करोड़ रुपये के कोष के साथ अनुसंधान विकास और नवाचार (आरडीआई) योजना को मंजूरी दी। अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) योजना दिनांक 03.11.2025 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन (ईएसटीआईसी) वर्ष 2025 के उद्घाटन सत्र के दौरान शुरू की गई थी। आरडीआई के विशेष वित्तीय नियमों और शासन संरचना को व्यय विभाग (डीओई) द्वारा सहमति दी गई है, जिसे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एएनआरएफ) की कार्यकारी परिषद (ईसी) द्वारा

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			दिनांक 11.10.2025 को आयोजित अपनी बैठक में अपनाया गया था। आरडीआई के कार्यान्वयन दिशानिर्देशों की सिफारिश वित्त मंत्रालय द्वारा की गई थी और कार्यकारी परिषद (ईसी), एएनआरएफ द्वारा अनुमोदित किया गया था।
67.	80	**निधियों का डीप टेक फंड** इस पहल के एक भाग के रूप में अगली पीढ़ी के स्टार्टअप्स को उत्प्रेरित करने के लिए एक डीप टेक निधियों के कोष को भी जुटाया जाएगा।	**विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी)** **नीति आयोग** **आर्थिक कार्य विभाग (डीईए)** केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक लाख करोड़ रुपये के कोष के साथ अनुसंधान विकास और नवाचार (आरडीआई) योजना को मंजूरी दी। आरडीआई योजना दिनांक 03.011.2025 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ईएसटीआईसी वर्ष 2025 के उद्घाटन सत्र के दौरान शुरू की गई थी। आरडीआई के विशेष वित्तीय नियमों और शासन संरचना को व्यय विभाग (डीओई) द्वारा सहमति दी गई है, जिसे एएनआरएफ की कार्यकारी परिषद (ईसी) द्वारा दिनांक 11.10.2025 को आयोजित अपनी बैठक में अपनाया गया था। आरडीआई के कार्यान्वयन दिशानिर्देशों की सिफारिश वित्त मंत्रालय द्वारा की गई थी और ईसी, एएनआरएफ द्वारा अनुमोदित किया गया था।
68.	81	**पीएम रिसर्च फेलोशिप** अगले पांच वर्षों में, पीएम रिसर्च फेलोशिप योजना के तहत, हम वर्धित वित्तीय सहायता के साथ आईआईटी और आईआईएससी में तकनीकी अनुसंधान के लिए दस हजार फेलोशिप प्रदान करेंगे।	**उच्चत्तर शिक्षा विभाग (डीएचई)** ईएफसी का अनुमोदन प्राप्त हो गया है। कैबिनेट नोट के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
69.	82	**फसलों के लिए जीन बैंक जर्मप्लाज्म** भविष्य की खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए 10 लाख जर्मप्लाज्म लाइनों के साथ दूसरा जीन बैंक स्थापित किया जाएगा। यह आनुवंशिक संसाधनों के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को संरक्षण सहायता प्रदान करेगा।	**कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डीएआरई)** प्रस्तावित स्थल का भूकंपीय सर्वेक्षण और भूकंपीयता विश्लेषण राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एनसीएस-एमओईएस) द्वारा दिनांक 4-9 अक्टूबर, 2025 के दौरान किया गया था और रिपोर्ट दिनांक 28.10.2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) को प्रस्तुत की गई थी।
70.	83	**राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन** हम मूलभूत भू-स्थानिक अवसंरचना और डेटा को विकसित करने के लिए एक राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन शुरू करेंगे। पीएम गति शक्ति का उपयोग करते हुए, यह मिशन भूमि अभिलेखों, शहरी नियोजन और अवसंरचना परियोजनाओं के डिजाइन के आधुनिकीकरण की सुविधा प्रदान करेगा।	**विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी)** मिशन के अनुमोदन के लिए मंत्रिमंडल के लिए नोट डीएसटी द्वारा तैयार किया गया है और सभी हितधारक विभागों/ मंत्रालयों को उनके विचार/ टिप्पणियों के लिए अंतर-मंत्रालयी परामर्श के लिए परिचालित किया गया है। इन टिप्पणियों को शामिल करने के बाद, मंत्रिमंडल नोट का मसौदा मंत्रिमंडल सचिवालय को भेज दिया गया है। **भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर)** भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) ने देश की 20% ग्रामीण कृषि भूमि (दिनांक 31.03.2028 तक पूरी करने के लिए) का सर्वेक्षण/ पुनर्सर्वेक्षण करने पर ईएफसी नोट के लिए व्यय विभाग (डीओई) के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव भेजा है। एनजीएम के अंतर्गत प्राप्त ऑर्थो रेक्टिफाइड इमेजरी (ओआरआई) का उपयोग आधारभूत स्थिति का पता लगाने और अद्यतन भूमि अभिलेखों के प्रकाशन के लिए किया जाएगा। **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय** मंत्रालय ने उप-योजना के तहत भू-स्थानिक डेटाबेस निर्माण के लिए राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			(एनआरएससी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अमृत के तहत, भू-स्थानिक डेटाबेस के निर्माण के लिए 1 लाख वर्ग किमी क्षेत्र को कवर किया गया है। अमृत 2.0 के तहत, भू-स्थानिक डेटाबेस के निर्माण के लिए कुल 67,500 वर्ग किमी क्षेत्र का प्रावधान किया गया है **उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी)** पीएम गति शक्ति योजना राष्ट्रीय मास्टर प्लान (पीएमजीएस एनएमपी) पोर्टल के साथ भूमि अभिलेखों का एकीकरण 9 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पूरा कर लिया गया है, जिसमें 4 अनिवार्य विशेषताएं - क्षेत्र, स्वामित्व प्रकार, भूमि उपयोग, सर्वेक्षण संख्या शामिल हैं। शेष राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, आंशिक भूमि रिकॉर्ड डेटा को पोर्टल पर मैप (मानचित्रण) किया गया है। शेष राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एकीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए संबंधित राज्य प्राधिकरणों और भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) के सहयोग से प्रयास जारी हैं। इनमें से कई राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र वर्तमान में अपने भूमि रिकॉर्ड को अद्यतन करने के लिए सर्वेक्षण/ पुन: सर्वेक्षण कर रहे हैं।
71.	84	**ज्ञान भारतम मिशन** 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को शामिल करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों और निजी संग्रहकर्ताओं के साथ हमारी पांडुलिपि विरासत के सर्वेक्षण, प्रलेखन	**संस्कृति मंत्रालय (एमओसी)** कुल 22,660 दस्तावेज़ीकरण, 5,50,694 फोलियो संरक्षण, आरएफपी के 03 प्रकाशन और डिजिटलीकरण का कार्य पूरा हो चुका है और एजेंसियों को इसमें शामिल किया गया है। पांडुलिपियों की सुरक्षा की संभावनाओं तथा लाभों

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		और संरक्षण के लिए एक ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया जाएगा। हम ज्ञान साझा करने के लिए भारतीय ज्ञान प्रणालियों का एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार स्थापित करेंगे।	पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ संयुक्त रूप से वेबिनार का आयोजन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय संस्कृति मंत्री ने मिशन के रोडमैप और राष्ट्रीय डिजिटल भंडार (एनडीआर) के निर्माण की रूपरेखा तैयार की। निम्नलिखित पांच क्षेत्रों पर विचार-विमर्श करने हेतु बैठकें आयोजित की गई हैं: क. सर्वेक्षण और सूचीकरण ख. संरक्षण और क्षमता निर्माण ग. प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण घ. भाषा संबंधी कार्य और अनुवाद ङ. अनुसंधान, प्रकाशन और आउटरीच
72.	86	**निर्यात संवर्धन मिशन** हम वाणिज्य, एमएसएमई और वित्त मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित क्षेत्रीय और मंत्रिस्तरीय लक्ष्यों के साथ एक निर्यात संवर्धन मिशन स्थापित करेंगे। यह निर्यात ऋण तक आसान पहुंच, सीमा पार फैक्टरिंग समर्थन और विदेशी बाजारों में गैर-टैरिफ उपायों से निपटने के लिए एमएसएमई के लिए सहायक होगा।	**वाणिज्य विभाग (डीओसी)** **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई)** **वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस)** **वस्त्र मंत्रालय (एमओटी)** केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) को मंजूरी दे दी है। यह मिशन वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 तक के लिए ₹25,060 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ निर्यात संवर्धन के लिए एक व्यापक, लचीला और डिजिटल रूप से संचालित फ्रेमवर्क प्रदान करेगा। ईपीएम अलग-अलग योजनाओं से एकल, परिणाम-आधारित और अनुकूलित तंत्र में एक कार्यनीतिक परिवर्तन का प्रतीक है जो वैश्विक व्यापार चुनौतियों और निर्यातकों की उभरती आवश्यकताओं को तेजी से पूरा कर सकता है।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
73.	87	**भारत ट्रेड नेट** अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, 'भारतट्रेडनेट' (बीटीएन) किया जाएगा जो व्यापार प्रलेखन और वित्तपोषण समाधानों के लिए एक एकीकृत मंच के रूप में कार्य करेगा। यह यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म का पूरक होगा। बीटीएन को अंतरराष्ट्रीय पद्धतियों के साथ जोड़ा जाएगा।	**वाणिज्य विभाग (डीओसी)** **वस्त्र मंत्रालय (एमओटी)** अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (यूएनसीआईटीआरएएल) (एमएलईटीआर 2017, एमएलआईटी 2022) के प्रावधानों के आधार पर मसौदा कैबिनेट नोट तैयार किया जा रहा है। **वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस)** भारत ट्रेड नेट पहल पर डीजीएफटी द्वारा दिनांक 26.08.2025 को आईएमसी की एक बैठक आयोजित की गई थी। डीजीएफटी ने दिनांक 08.09.2025 के ईमेल के माध्यम से टिप्पणियों/ सुझावों के लिए एक मसौदा कानून के साथ बैठक का कार्यवृत्त साझा किया है।
74.	88	**वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण के लिए समर्थन** वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ हमारी अर्थव्यवस्था के एकीकरण के लिए घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को विकसित करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर क्षेत्रों की पहचान की जाएगी।	**उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी)** **वाणिज्य विभाग (डीओसी)** **नीति आयोग** यह मद राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के कार्य में शामिल है। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन सबंधी कार्य प्रगति पर है।
75.	89	चुनिंदा उत्पादों और आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग प्रतिनिधियों की भागीदारी वाले सुविधा समूह गठित किए जाएंगे।	**उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी)** **वाणिज्य विभाग (डीओसी)** **नीति आयोग** नीति आयोग ने विनिर्माण, निर्यात और परमाणु ऊर्जा मिशन विषय पर आयोजित वेबिनार के दौरान विनिर्माण पर प्रारम्भिक सत्र-1 का नेतृत्व किया और इसके लिए विस्तृत अवधारणा नोट तैयार किए।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
76.	90	इसके माध्यम से, उद्योग 4.0 से संबंधित अपार अवसर मौजूद हैं, जिसके लिए उच्च कौशल और प्रतिभा की आवश्यकता है। हमारे युवाओं में ये दोनों गुण हैं। हमारी सरकार घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उद्योग को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए सहयोग देगी, ताकि युवाओं को इससे लाभ हो।	**इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मैईटी)** इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की इलेक्ट्रॉनिक्स/ आईटी/ सीसीबीटी उप-योजना के तहत अनुसंधान एवं विकास, उद्योग **4.0** के विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), औद्योगिक स्वचालन, आईओटी, डब्ल्यूएसएन आदि में उच्च कौशल वाले कार्यबल/ प्रतिभा और प्रौद्योगिकियों के निर्माण हेतु अनुसंधान गतिविधियों को समर्थन प्रदान करती है। यह योजना घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उद्योग और शिक्षा जगत को युवाओं के लाभ के लिए इस अवसर का लाभ उठाने में सक्षम बनाती है।
77.	91	**जीसीसी के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क** उभरते द्वितीय श्रेणी के शहरों में वैश्विक क्षमता केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के मार्गदर्शन हेतु एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। इसमें प्रतिभा और अवसरंचना की उपलब्धता बढ़ाने, नियमों में सुधार करने और उद्योग के साथ सहयोग के लिए तंत्र स्थापित करने के उपाय सुझाए जाएंगे।	**इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मैइती)** वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क के पहले मसौदे पर प्रतिक्रिया प्राप्त की जा रही है।
78.	92	**हवाई माल ढुलाई के लिए भंडारण सुविधा** हमारी सरकार उच्च मूल्य वाले शीघ्र खराब होने वाले बागवानी उत्पादों सहित हवाई माल ढुलाई के लिए अवसरंचना और भंडारण सुविधाओं के उन्नयन को सुगम बनाएगी। माल की	**नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए)** एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड (सीएलएएस) ने **6** हवाई अड्डों अर्थात डिब्रूगढ़, दीमापुर, देहरादून, जोधपुर, श्रीनगर और विजयवाड़ा पर भूमि पहचान प्रक्रिया पूरी कर ली है। जोधपुर कार्गो टर्मिनल पर वेयरहाउसिंग का काम पूरा हो गया है। शेष पांच हवाई अड्डों पर

क्र.सं.	पैरा सं.	**बजट घोषणा**	**कार्यान्वयन की स्थिति**
		जांच और सीमा शुल्क प्रोटोकॉल को सुव्यवस्थित और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया जाएगा।	भूमि पहचान का काम पूरा हो गया है और निर्माण प्रस्ताव को एएआई बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) ने दिनांक 21.07.2025 को विमानन सुरक्षा परिपत्र संख्या **6/ 2024-**परिशिष्ट-**II** जारी किया है, जिससे कार्गो के ट्रांसशिपमेंट को सक्षम बनाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप हवाई अड्डे पर कार्गो की मात्रा में वृद्धि होगी। पारस्परिक सुरक्षा समतुल्यता को आगे बढ़ाने के लिए मौजूदा और संभावित ट्रांसशिपमेंट व्यवसाय वाले देशों/ मार्गों की सूची बीसीएएस के साथ साझा की गई है। **राजस्व विभाग (डीओआर)** **1.** माल की जांच: क. सीमा शुल्क विभाग मूल्यांकन और मंजूरी के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली का उपयोग करता है। ख. **16** बंदरगाहों पर **25** कंटेनर स्कैनर के साथ घुसपैठ रोधी निरीक्षण (एनआईआई**)** सुविधाएं चालू हैं। अतिरिक्त स्कैनर खरीदे जा रहे हैं, और मुंद्रा और न्हावा शेवा में सीआईएएस का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। ग. इलेक्ट्रॉनिक कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम (ईसीटीएस**)** इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग और जीपीएस आधारित कार्गो निगरानी को सक्षम बनाता है, जिसमें नेपाल जाने वाला पारगमन कार्गो भी शामिल है। 2. सीमा शुल्क प्रोटोकॉल: क. जोखिम प्रबंधन और एईओ पहलों के माध्यम से बाधाओं को दूर करके कार्गो क्लीयरेंस में तेजी लाने के लिए वीईजीए फ्रेमवर्क शुरू किया गया है।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए आयातक परिसर में आगमन पर सरलीकृत आवागमन और जांच शुरू की गई है तथा इसे अन्य वस्तुओं तक विस्तारित किया जाएगा। ख. एकल अनुबंध पहल के तहत एक एकल अखिल भारतीय बहुउद्देशीय इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पेश किया गया है, जो एकाधिक लेनदेन-आधारित बॉन्डों को प्रतिस्थापित करेगा। ग. स्वचालित प्रणाली पर सीमा शुल्क वापसी की ऑनलाइन प्रक्रिया और इलेक्ट्रॉनिक संवितरण सक्षम किया गया है। घ. अनिश्चितता को कम करने के लिए अनंतिम आकलन को अंतिम रूप देने की दो वर्ष की समय सीमा (जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है) लागू की जा रही है। ङ. एक नए प्रावधान के तहत सीमा शुल्क दस्तावेजों का स्व-मूल्यांकन सहित स्वैच्छिक संशोधन किया जा सकता है, जिसमें कम भुगतान पर कोई शास्ति नहीं लगेगी और अधिक भुगतान पर वापसी की पात्रता होगी। धारा 28कक के अनुसार, कोई शास्ति देय नहीं होगी। इसके विपरीत, यदि अधिक शुल्क का भुगतान किया गया है, तो संशोधित प्रविष्टि को धारा 27 के तहत वापसी का दावा माना जाएगा। 3. जल्दी खराब होने वाले सामान की हवाई माल ढुलाई क. आवश्यकतानुसार, शीत भंडारण सुविधाओं के साथ समर्पित स्वच्छ हैंडलिंग स्थान।

क्र.सं.	पैरा सं.	**बजट घोषणा**	**कार्यान्वयन की स्थिति**
			ख. हैंडलिंग और भंडारण के लिए विशेष उपकरण और प्रशिक्षित कर्मचारी। ग. पादप संगरोध और फ्यूमिगेशन एजेंसियों की उपलब्धता। घ. डेटा साझाकरण के लिए ट्रांसशिपर और एयरलाइनों के बीच बेहतर समन्वय। ङ. सीमा शुल्क और कार्गो टर्मिनल संचालकों के बीच इलेक्ट्रॉनिक डेटा का आदान-प्रदान। च. निर्यात मालसूची का अग्रिम इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुतीकरण। छ. कागजी प्रतियों के बिना गेट-पास का ऑनलाइन सृजन और सत्यापन।
79.	94	**कर सुधार** पिछले दस वर्षों में, हमारी सरकार ने करदाताओं की सुविधा के लिए कई सुधार लागू किए हैं, जैसे (1) फेसलेस असेसमेंट, (2) करदाता चार्टर, (3) त्वरित रिटर्न, (4) लगभग 99 प्रतिशत रिटर्न स्व-मूल्यांकन पर आधारित, और (5) विवाद से विश्वास योजना। इन प्रयासों को जारी रखते हुए, मैं कर विभाग की "पहले भरोसा, बाद में जांच" की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती हूं। मैं अगले सप्ताह नया आयकर विधेयक पेश करने का भी प्रस्ताव करती हूं। मैं भाग ख में अप्रत्यक्ष कर सुधारों और प्रत्यक्ष करों में परिवर्तनों का विस्तृत विवरण दूंगी।	**राजस्व विभाग (डीओआर)** आयकर अधिनियम, **2025** दिनांक **21.08.2025** को अधिसूचित किया गया, जो **01.04.2026** से प्रभावी है।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
80.	95	**बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)** बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा **74** प्रतिशत से बढ़ाकर **100** प्रतिशत की जाएगी। यह बढ़ी हुई सीमा उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी जो संपूर्ण प्रीमियम का निवेश भारत में करती हैं। विदेशी निवेश से संबंधित मौजूदा सुरक्षा उपायों और शर्तों की समीक्षा की जाएगी और उन्हें सरल बनाया जाएगा।	**वित्तीय सेवाएँ विभाग (डीएफएस)** **आर्थिक कार्य विभाग (डीईए)** **उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी)** बीमा कानून (संशोधन) विधेयक, **2025** के मसौदे में बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सीमा को **74%** से बढ़ाकर **100%** करने का प्रावधान है। मसौदा विधेयक में संशोधन कार्य किया जा रहा है।
81.	96	**इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सेवाओं का विस्तार** ग्रामीण क्षेत्रों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सेवाओं को और अधिक मजबूत और विस्तारित किया जाएगा।	**डाक विभाग (डीओपी)** वर्तमान में, आईपीपीबी की बैंकिंग सेवाएं **1.64** लाख बैंकिंग टच पॉइंट्स पर उपलब्ध हैं, जिसके आधार पर यह देश के लगभग **5.91** लाख गांवों में वित्तीय कवरेज (**5** किलोमीटर के दायरे में) की सुविधा प्रदान करने में सक्षम है। व्यापक एजेंट नेटवर्क ने वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने के लिए आवश्यक दूरी और समय को कम कर दिया है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहां ग्रामीण डाक सेवक सीधे ग्राहकों के घर पर सेवाएं प्रदान करते हैं। इसके अलावा, निवेशक शिक्षा संरक्षण कोष प्राधिकरण (आईईपीएफए) और एनएबीएआरडी के समन्वय से आयोजित विभिन्न वित्तीय साक्षरता शिविरों के अतिरिक्त सहयोग तथा आईपीपीबी उत्पादों और सहायता प्राप्त बैंकिंग सेवाओं के व्यापक उपयोग से ग्रामीण परिवारों में डिजिटल वित्तीय साधनों के प्रति जागरूकता बढ़ी है और इन्हें अपनाने में वृद्धि हुई है। साथ ही, आईपीपीबी विभिन्न राज्य/ केंद्रीय स्तर की योजनाओं के

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			लाभार्थियों को डीबीटी लाभों की सफल डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकारी विभागों के साथ रणनीतिक रूप से सहयोग कर रहा है। यह समय-समय पर फील्ड वर्कफोर्स को प्रशिक्षण भी प्रदान कर रहा है और आईपीपीबी के मौजूदा और नए उत्पादों और सेवाओं के बारे में उनकी जानकारी को बढ़ा रहा है। **वित्तीय सेवाएँ विभाग (डीएफएस)** डीएफएस ने विभागों के बीच तालमेल के लिए डीएफएस से एक प्रतिनिधि को नामित किया है।
82.	97	**एनएबीएफआईडी द्वारा ऋण संवर्धन सुविधा** एनएबीएफआईडी अवसंरचना के लिए कॉर्पोरेट बांडों हेतु एक 'आंशिक ऋण संवर्धन सुविधा' स्थापित करेगा।	**वित्तीय सेवाएँ विभाग (डीएफएस)** राष्ट्रीय अवसंरचना एवं विकास वित्तपोषण बैंक (संस्था) ने सितंबर **2025** में आंशिक ऋण संवर्धन (पीसीई) उत्पाद की शुरुआत की। यह बांड जारी करने के लिए ऋण संवर्धन प्रदान करता है। संस्था ने संभावित बांड जारीकर्ताओं की सूची तैयार कर ली है और उनसे बातचीत जारी है। संस्था को आर्थिक कार्य विभाग से विश्व बैंक के साथ गारंटी/ बैकस्टॉप सुविधा के माध्यम से जोखिम साझाकरण के आधार पर पीसीई सुविधा विकसित करने की मंजूरी भी मिल गई है। पीसीई सुविधा की संरचना को लेकर विश्व बैंक के साथ बातचीत चल रही है।
83.	98	**ग्रामीण क्रेडिट स्कोर** सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) सदस्यों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 'ग्रामीण क्रेडिट स्कोर' फ्रेमवर्क विकसित करेंगे।	**वित्तीय सेवाएँ विभाग (डीएफएस)** ग्रामीण क्रेडिट स्कोर का विकास क्रेडिट सूचना कंपनियां (विनियमन) अधिनियम**, 2005** के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाना है। उक्त अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाने और पर्यवेक्षण करने की शक्तियां आरबीआई के पास हैं। आरबीआई

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			सरकार के परामर्श से ग्रामीण क्रेडिट स्कोर के लिए विनियम बनाएगा। सीआईसी द्वारा ग्रामीण क्रेडिट स्कोर मॉडल विकसित किया गया और अब यह दिनांक 01.10.2025 से परीक्षण चरण में है। डीएफएस ने दिनांक 03.11.2025 के पत्र के माध्यम से बैंकों और संबंधित एजेंसियों से जीआईसी फ्रेमवर्क को एकीकृत करने और सीआईसी के साथ सभी तकनीकी एकीकरण को पूरा करने का अनुरोध किया।
84.	99	**पेंशन क्षेत्र** पेंशन उत्पादों के विनियामक समन्वय और विकास के लिए एक फोरम स्थापित किया जाएगा।	**वित्तीय सेवाएँ विभाग (डीएफएस)** फोरम के गठन के लिए दिनांक 25.08.2025 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी की गई ।
85.	100	**केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाना** केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाने संबंधी पूर्व घोषणा को लागू करने के लिए, संशोधित **2025** में केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री शुरू किया जाएगा। साथ ही, आवधिक अद्यतन के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली भी लागू की जाएगी।	**वित्तीय सेवाएँ विभाग (डीएफएस)** केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) का पुनर्गठन किया जा रहा है और निम्नलिखित सुधार पहले से ही लागू हैं: -वेबसाइट से सीकेवाईसी आईडी कार्ड खोजना और डाउनलोड करना -मिस्ड कॉल सुविधा के माध्यम से कार्ड तक पहुंच - सीकेवाईसीआर रजिस्ट्री का डिजि-लॉकर के साथ एकीकरण -डाउनलोड के समय आरई के साथ केवाईसी अपडेट/ डाउनलोड हिस्ट्री (पिछले पांच वर्षों का) साझा करना -नए रिकॉर्ड अपलोड/ अपडेट करने के लिए शुल्क में छूट

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			-रिकॉर्ड के अपडेट/ संशोधन पर आरई को स्वचालित नोटिफकेशन। वित्तीय संस्थानों के लिए मेटाडेटा की उपलब्धता की कार्यक्षमता विकसित करने के लिए एक सिस्टम इंटीग्रेटर भी स्थापित किया गया है। वर्ष 2025-26 में प्रस्तावित कुछ सुधार इस प्रकार हैं: - पैन, सारथी (ड्राइविंग लाइसेंस) और आधार डेटाबेस के साथ एपीआई आधारित सत्यापन - फोटो मिलान के साथ एआई-संचालित डुप्लीकेट डेटा हटाना - ग्राहक को केवाईसी विवरण देखने की सुविधा, जिसमें सुधार का अनुरोध करने का विकल्प भी शामिल है। - डेटा उपयोग के लिए ग्राहक की सहमति हेतु ओटीपी / चेहरे का प्रमाणीकरण - वित्तीय संस्थानों को मेटाडेटा तक पहुंच - ओवीडी दस्तावेजों के सत्यापन/ पुष्टिकरण के लिए डिजि-लॉकर के साथ एकीकरण। सीकेवाईसीआर 2.0 में मेटाडेटा की उपलब्धता बढ़ाने और आवधिक अद्यतन प्रक्रिया को और भी सुव्यवस्थित करने का प्रस्ताव है। **आर्थिक कार्य विभाग (डीईए)** नवीनतम तकनीकी उन्नयन के साथ सीकेवाईसीआर आर का पुनर्गठन फरवरी 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है और डीएफएस सीकेवाईसीआर 2.0 के लॉन्च के समय अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) की एक सूची जारी करेगा। जुलाई 2024 में केवाईसी/ आरई-केवाईसी

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			के आवधिक अद्यतन के लिए, पीएमएल नियमों में संशोधन करके सीकेवाईसीआर के उपयोग की अनुमति दी गई । आरबीआई ने जून 2025 में सभी बैंकों को 30 सितंबर तक अपनी केवाईसी नीति में आरई-केवाईसी संशोधनों को शामिल करने का आदेश दिया।
86.	101	**कंपनियों का विलय** कंपनियों के विलय की शीघ्र स्वीकृति हेतु अपेक्षाओं और प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत बनाया जाएगा। त्वरित विलय के दायरे को भी बढ़ाया जाएगा और प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।	**कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए)** कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों में संशोधन के लिए प्रस्तावित प्रारूप तैयार कर लिए गए हैं। उचित परामर्श, यदि आवश्यक हो के अध्यधीन तथा विधायी विभाग द्वारा कानूनी जांच और अन्य स्वीकृतियों के अधीन, उक्त संशोधन आगामी सत्र में संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। (ख) कंपनी (समझौते, व्यवस्थाएं और विलय) नियम, 2016 को 04.09.2025 को संशोधित किया गया था। ऐसे संशोधनों के अनुसरण में, कंपनी अधिनियम-**13** की धारा **233** के तहत फास्ट ट्रैक विलय/ डी-मर्जर का लाभ उठाने के लिए कंपनियों के अतिरिक्त वर्ग (नीचे उल्लिखित) शामिल किए गए हैं: - दो या दो से अधिक गैर-सूचीबद्ध कंपनियां (धारा 8 कंपनियों को छोड़कर) जो बकाया ऋणों, डिबेंचरों या जमाओं की निर्धारित सीमा को पूरा करती हैं। - होल्डिंग कंपनी और सहायक कंपनियां, उन मामलों को छोड़कर जहां हस्तांतरणकर्ता कंपनी एक सूचीबद्ध कंपनी है। - एक ही होल्डिंग कंपनी की दो या दो से अधिक सहायक कंपनियां, उन मामलों को छोड़कर जहां हस्तांतरणकर्ता कंपनी एक सूचीबद्ध कंपनी है।

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
87.	102	**द्विपक्षीय निवेश संधियाँ** अंतरिम बजट में प्रस्तावित योजना के अनुसार, हमने **2024** में दो देशों के साथ द्विपक्षीय निवेश संधियों (बीआईटी) पर हस्ताक्षर किए। सतत विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने और 'पहले भारत का विकास' की भावना को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान बीआईटी मॉडल को संशोधित किया जाएगा और इसे निवेशकों के लिए अधिक अनुकूल बनाया जाएगा।	**आर्थिक कार्य विभाग (डीईए)** कार्यान्वयन प्रगति पर है, जो कई देशों के साथ व्यापक वार्ता के माध्यम से प्राप्त संतुलन को दर्शाता है।
88.	104	**विनियामक सुधारों के लिए उच्च स्तरीय समिति** गैर-वित्तीय क्षेत्र के सभी विनियमों, प्रमाणनों, लाइसेंसों और अनुमतियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विनियामक सुधार समिति का गठन किया जाएगा। समिति एक वर्ष के भीतर सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। इसका उद्देश्य विश्वास-आधारित आर्थिक शासन को मजबूत करना और विशेष रूप से निरीक्षण और अनुपालन के मामलों में 'व्यापार करने में सुगमता' को बढ़ाने के लिए परिवर्तनकारी उपाय करना है। राज्यों को इस प्रयास में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।	**नीति आयोग** **उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी)** **आर्थिक कार्य विभाग (डीईए)** मंत्रिमंडल सचिवालय की दिनांक **19.08.2025** की अधिसूचना संख्या **1/ 31/ 3/ 2025-**कैब.(आईसी) के तहत विनियामक सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) का गठन किया गया था। सुधारों के लिए संभावित क्षेत्रों की पहचान करने हेतु ग्यारह (**11**) कार्य समूहों का गठन किया गया है।
89.	105	**राज्यों का निवेश अनुकूलता सूचकांक** प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद की भावना को बढ़ावा देने के लिए **2025** में राज्यों का निवेश अनुकूलता सूचकांक शुरू किया जाएगा।	**नीति आयोग** **उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी)** निवेश अनुकूलता सूचकांक तैयार करने का कार्य अंतिम चरण में है। प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों का संग्रह पूर्ण हो चुका है। रिपोर्ट

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			और सूचकांक को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया जारी है।
90.	106	**वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद (एफएसडीसी) तंत्र** वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद के अंतर्गत, वर्तमान वित्तीय विनियमों और सहायक निर्देशों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाएगा। यह तंत्र वित्तीय क्षेत्र के विकास और उनकी जवाबदेही बढ़ाने के लिए एक फ्रेमवर्क भी तैयार करेगा।	**आर्थिक कार्य विभाग (डीईए)** **वित्तीय सेवाएँ विभाग (डीएफएस)** इस मुद्दे पर दिनांक **10.06.2025** को आयोजित **29**वीं वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की बैठक में चर्चा की गई। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, सभी वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों ने तीन तंत्रों का पालन करने पर सहमति व्यक्त की है, जिनमें विनियमन प्रक्रिया का संहिताकरण, विनियामकों द्वारा आंतरिक समीक्षा और स्वतंत्र प्रभाव मूल्यांकन शामिल हैं। आरबीआई ने दिनांक 7 मई, 2025 को विनियमों के निर्माण हेतु फ्रेमवर्क जारी किया है। विनियामक अनुपालन लागत के आकलन के संबंध में, वित्तीय सुरक्षा विनियामक निकाय (एफएसडीसी) की उप-समिति (एफएसडीसी-एससी) के तत्वावधान में एक अंतर-विनियामक कार्य समूह (आईआरडब्ल्यूजी) का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य विनियामक प्रभाव आकलन (आरआईए)/ लागत-लाभ विश्लेषण (सीबीए) की जांच करना और एक व्यापक फ्रेमवर्क विकसित करने की संभावनाओं का पता लगाना था जो सिद्धांत-आधारित हो और सभी विनियामकों द्वारा उपयोग किया जा सके।
91.	107	**जन विश्वास विधेयक 2.0** जन विश्वास अधिनियम **2023** में **180** से अधिक कानूनी प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। हमारी सरकार अब जन विश्वास विधेयक **2.0** लाएगी, जिसके तहत	**उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी)** जन विश्वास **2.0** के लिए **34** मंत्रालयों के तहत आने वाले **168** अधिनियमों में शामिल **1,108** आपराधिक प्रावधानों (प्रमुख और गौण सहित) का विश्लेषण किया गया। जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, **2025** को माननीय वाणिज्य

क्र.सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		विभिन्न कानूनों में **100** से अधिक प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाएगा।	एवं उद्योग मंत्री द्वारा दिनांक **18.08.2025** को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और इसे चयन समिति को भेजा गया।
92.	109	**राजकोषीय सुदृढ़ीकरण** जुलाई के बजट में, मैंने राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प लिया था। हमारा प्रयास रहेगा कि प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटा इस प्रकार नियंत्रित रहे कि केंद्र सरकार का ऋण सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में घटता रहे। अगले **6** वर्षों के लिए विस्तृत कार्ययोजना एफआरबीएम वक्तव्य में दी गई है।	**आर्थिक कार्य विभाग (डीईए)** बजट भाषण वर्ष **2021-22** में घोषित सरकारी ग्लाइड पाथ **2026** में समाप्त होगा। इसलिए, बजट भाषण का यह पैराग्राफ वित्तीय वर्ष **2026-27** और उसके बाद की अवधि के लिए है।
93.	144	**व्यापार करने में सुगमता** स्थानांतरण मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और वार्षिक जांच के विकल्प के रूप में, मैं तीन वर्षों की अवधि के लिए अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के उचित मूल्य निर्धारण हेतु एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव करती हूं। यह वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप होगी।	**राजस्व विभाग (डीओआर)** यह योजना दिनांक **01.04.2026** से प्रभावी होगी। इसके नियम दिनांक **30.09.2026** तक तैयार कर लिए जाएंगे।
94.	145	मुकदमेबाजी को कम करने और अंतरराष्ट्रीय कराधान में निश्चितता प्रदान करने के उद्देश्य से, सेफ हार्बर नियमों के दायरे का विस्तार किया जा रहा है।	**राजस्व विभाग (डीओआर)** दिनांक **25.03.2025** की अधिसूचना संख्या **21/ 2025** माध्यम से, सीबीडीटी ने आयकर नियम, **1962** में संशोधन अधिसूचित किए हैं ताकि सेफ हार्बर नियमों के दायरे का विस्तार किया जा सके।